

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-462
दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय पथ प्रकाश कार्यक्रम

462. डॉ. राजकुमार सांगवान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय पथ प्रकाश कार्यक्रम (एसएलएनपी) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जिलों में बागपत को भी शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक बागपत जिले में कितनी एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं या बदली गई हैं;

(घ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत बागपत जिले में आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन में किसी विलंब या समस्या की सूचना मिली है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे विलंब और समस्याओं को दूर करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

माननीय विद्युत मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

'राष्ट्रीय पथ प्रकाश कार्यक्रम' के संबंध में लोक सभा में दिनांक 03.04.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 462 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) : पूरे भारत में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग को व्यापक रूप से अपनाकर सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था में ऊर्जा की खपत और लागत को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) शुरू किया गया। ऊर्जा मंत्रालय के तहत सीपीएसई का एक संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) एसएलएनपी की कार्यान्वयन एजेंसी है।

एसएलएनपी के तहत विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 13.1 मिलियन से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। इसके परिणामस्वरूप वार्षिक बिजली की बचत लगभग 8.8 बिलियन किलोवाट घंटा और नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए लगभग ₹6,178 करोड़ की वार्षिक मौद्रिक बचत हुई है। राज्यवार स्थापित एलईडी स्ट्रीट लाइटों का विवरण **अनुबंध** पर है।

(ख) और (ग) : उत्तर प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) सहित 69 राज्य निकायों/प्राधिकरणों में एसएलएनपी लागू किया गया है। बागपत जिले में अभी तक यह योजना लागू नहीं की गई है।

(घ) : भारत सरकार ने एसएलएनपी के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया है, क्योंकि यह कार्यक्रम ईईएसएल द्वारा स्व-वित्तपोषण मोड में लागू किया जाता है

(ङ) और (च) : संबंधित प्राधिकरण से समझौते और सहमति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद एसएलएनपी योजना के कार्यान्वयन में ईईएसएल की ओर से आम तौर पर कोई देरी नहीं हुई है।

तथापि, दिनांक 31/03/2025 तक विभिन्न राज्यों और यूएलबी से एसएलएनपी के निमित्त लगभग 2700 करोड़ रुपये (विलंबित भुगतान अधिभार (डीपीएस) को छोड़कर) की बकाया राशि, कार्यक्रम के कार्यान्वयन के कारण कंपनी के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है। ईईएसएल और विद्युत मंत्रालय एसएलएनपी के लिए ईईएसएल के बकाया भुगतान को प्राथमिकता आधार पर जारी करने में तेजी लाने के लिए सभी संबंधित हितधारकों/मंत्रालयों के साथ दृढ़ता से संपर्क कर रहा है।

एसएलएनपी ने देश में ऊर्जा दक्ष स्ट्रीट लाइट को अपनाने को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है और अब शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय कैपेक्स मॉडल सहित वैकल्पिक विकल्पों के माध्यम से इसे और अधिक उत्प्रेरित कर रहे हैं।

अखिल भारतीय एसएलएनपी प्रतिष्ठानों का राज्य-वार विवरण

क्रम सं.	राज्य	कुल संस्थापित
1	आंध्र प्रदेश	2947706
2	तेलंगाना	1731117
3	तमिलनाडु	7876
4	पोर्टब्लेयर	14995
5	महाराष्ट्र	1114328
6	केरल	433979
7	कर्नाटक	13226
8	गोवा	207183
9	लक्षद्वीप	1000
10	पश्चिम बंगाल	94198
11	झारखंड	554091
12	बिहार	575922
13	राजस्थान	1073238
14	गुजरात	903519
15	उत्तर प्रदेश	1290949
16	उत्तराखंड	133511
17	छत्तीसगढ़	381199
18	ओडिशा	353808
19	मध्य प्रदेश	295417
20	दिल्ली	399715
21	जम्मू और कश्मीर	191637
22	हिमाचल प्रदेश	63332
23	पंजाब	127267
24	चंडीगढ़	46496
25	हरियाणा	85139
26	सिक्किम	1073
27	त्रिपुरा	76426
28	असम	28875
29	पुदुचेरी	1520
कुल योग		13145920

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-472
दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

जलविद्युत परियोजनाएं

472. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:
श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में निर्मित जलविद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं का महाराष्ट्र सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कार्यशील जलविद्युत परियोजनाओं और प्रत्येक परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये परियोजनाएं अपनी अधिष्ठापित क्षमता से कम क्षमता पर चल रही हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं की दक्षता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार रूकी पड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए कोई कदम उठा रही है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा देश में जलविद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अन्य क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

माननीय विद्युत मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

जलविद्युत परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 03.04.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 472 के संबंध में भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) : पिछले 5 वर्षों और वर्तमान वर्ष (वर्ष 2020-21 से 2024-25) (दिनांक 02 अप्रैल, 2025 तक) के दौरान देश में 1,883 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली कुल 12 जलविद्युत परियोजनाएं (एचईपी) (क्षमता 25 मेगावाट से अधिक) शुरू की गई हैं। ब्यौरा **अनुबंध-I** पर है।

(ख) : देश में 13,238 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली कुल 26 जलविद्युत परियोजनाएं (क्षमता 25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। महाराष्ट्र राज्य में कोई जलविद्युत परियोजना निर्माणाधीन नहीं है। ब्यौरा **अनुबंध-II** पर है।

(ग) : देश में 42,983 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली कुल 209 जलविद्युत परियोजनाएं (क्षमता 25 मेगावाट से अधिक) हैं। पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2020-21 से फरवरी, 2025 तक) के दौरान प्रत्येक परियोजना द्वारा संस्थापित क्षमता और उत्पादित विद्युत का ब्यौरा **अनुबंध-III** पर है।

(घ) : वर्तमान में, तीस्ता-III (सिक्किम) (1200 मेगावाट), तीस्ता-V (सिक्किम) (510 मेगावाट), खांडोंग (असम) (50 मेगावाट) और मलाना-II (हिमाचल प्रदेश) (100 मेगावाट) में कम/कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। इन जलविद्युत परियोजनाओं के अपनी क्षमता से कम पर संचालित होने का मुख्य कारण अचानक बाढ़/बादल फटने के कारण उत्पादन इकाई(ओं) का बंद होना है।

(ङ) : जलविद्युत संयंत्रों की दक्षता में सुधार के लिए उत्पादनकर्ताओं द्वारा उठाए गए कदमों में नियमित अनुरक्षण, संयंत्र की समयावधि बढ़ाने के लिए नवीनीकरण और आधुनिकीकरण तथा प्रचालन संबंधी समस्याओं का समाधान करना शामिल है। इसके अलावा, जलविद्युत संयंत्र के निष्पादन को बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और स्वचालन जैसे कि स्काडा, डिजिटल उत्प्रेरण प्रणाली, डिजिटल गवर्नर प्रणाली और वास्तविक समय निगरानी का उपयोग किया जाता है।

(च) : देश में 1156 मेगावाट की कुल 8 जलविद्युत परियोजनाएं रुकी हुई हैं। परियोजनाओं की सूची, साथ ही रुके होने के कारणों का ब्यौरा **अनुबंध-IV** पर दिया गया है। इसके अलावा, निम्नलिखित जलविद्युत परियोजनाएं, जो पहले रुकी हुई थीं, सरकार द्वारा फिर से शुरू की गई हैं:

- (i) अरुणाचल प्रदेश में एनएचपीसी की सुबनसिरी लोअर (2000 मेगावाट) परियोजना वर्ष 2011 से रुकी हुई थी। दिनांक 31.07.2019 को एनजीटी का मामला खारिज होने के बाद कार्य फिर से शुरू हुआ।
- (ii) सिक्किम में तीस्ता VI (500 मेगावाट) लैंको को आवंटित की गई थी, लेकिन वर्ष 2012 से रुकी हुई थी। इसे वर्ष 2019 में एनसीएलटी में एनएचपीसी की बोली के माध्यम से फिर से शुरू किया गया है।

- (iii) सिक्किम में रंगित IV (120 मेगावाट) मूल रूप से जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (निजी क्षेत्र) को आवंटित की गई थी और अक्टूबर, 2013 से रुकी हुई थी। एनसीएलटी में एनएचपीसी की बोली के माध्यम से परियोजना को फिर से शुरू किया गया है और एनएचपीसी ने दिनांक 31.03.2021 को जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है।
- (iv) जम्मू-कश्मीर में रतले एचईपी (850 मेगावाट) मूल रूप से जीवीके को आवंटित की गई थी और वर्ष 2014 से रुकी हुई थी। एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी और पीडीडी, जम्मू-कश्मीर के बीच एक समझौता जापन पर हस्ताक्षर होने के बाद इसे फिर से शुरू किया गया।

(छ): सरकार ने जलविद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं:

- (i) विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 08.11.2019 के कार्यालय जापन के माध्यम से समय और लागत में कमी लाने संबंधी उपाय जारी किए गए हैं।
- (ii) विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 27.09.2021 के कार्यालय जापन के माध्यम से स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति करके प्रारंभिक चरण में हाईड्रो सीपीएसयू द्वारा निष्पादित अनुबंधों के संविदात्मक विवादों के समाधान के लिए विवाद निवारण प्रणाली की शुरुआत की गई है।
- (iii) विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.12.2021 के कार्यालय जापन के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के तहत सीपीएसयू/अन्य संगठनों द्वारा निष्पादित अनुबंधों के विवादों के समाधान के लिए समझौता समितियों के माध्यम से विवाद निवारण प्रणाली की शुरुआत की गई है।
- (iv) विद्युत मंत्रालय द्वारा 16.03.2022 को विवादों के शीघ्र निपटान और मध्यस्थता दावों/विवादों को कम करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- (v) विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 04.05.2022 को थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) श्रृंखला में परिवर्तन के मामले में मूल्य भिन्नता गणना के संबंध में संविदात्मक विवादों को रोकने के लिए, 'अनुबंध के निष्पादन के दौरान थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला में परिवर्तन/समाप्ति के मामले में मूल्य भिन्नता गणना' के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- (vi) जलविद्युत परियोजनाओं की बारीकी से निगरानी के लिए आईटी आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की गई है।

वर्तमान वर्ष एवं पिछले पांच वर्षों के दौरान जलविद्युत क्षमता में वृद्धि

क्रम सं.	एचईपी का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	परियोजना क्षमता (मेगावाट)	क्षेत्र	राज्य	यूनिट सं.	वर्तमान क्षमता (मेगावाट)	कमीशन की तिथि
	वर्ष 2020-21							
1	कमेंग	नीपको	600	केंद्रीय	अरुणाचल प्रदेश	3	150	21.01.2021
						4	150	11.02.2021
2	सावरा कुड्डू	एचपीपीसीएल	111	राज्य	हिमाचल प्रदेश	1	37	12.11.2020
						2	37	05.12.2020
						3	37	16.12.2020
3	सिंगोली भटवारी	एलएंडटी	99	निजी	उत्तराखंड	1	33	19.11.2020
						2	33	18.12.2020
						3	33	25.12.2020
	उप-योग: (वर्ष 2020-21)						510	
	वर्ष 2021-22							
1	रौंगनिचु	एमबीपीसीएल	2x56.5	निजी	सिक्किम	1	56.5	25.06.2021
						2	56.5	30.06.2021
2	सोरांग	एचएसपीसीएल	2x50	निजी	हिमाचल प्रदेश	1	50	23.09.2021
						2	50	21.09.2021
3	बाजोली होली	जीएमआर	3x60	निजी	हिमाचल प्रदेश	1	60	25.03.2022
						2	60	27.03.2022
						3	60	28.03.2022
	उप-योग: (वर्ष 2021-22)						393	
	वर्ष 2022-23							
1	व्यासी	यूजेवीएनएल	2x60	राज्य	उत्तराखंड	1	60	24.05.2022
						2	60	22.04.2022
	उप-योग: (वर्ष 2022-23)						120	
	वर्ष 2023-24							

1	नैटवार मोरी	एसजेवीएन	2x30	केंद्रीय	उत्तराखंड	1	30	24.11.2023
						2	30	04.12.2023
	उप-योग: (वर्ष 2023-24)						60	
	वर्ष 2024-25							
1	थोट्टियार	केएसईबी	1x10+1x30	राज्य	केरल	1	10	18.10.2024
						2	30	18.10.2024
2	पल्लीवसल	केएसईबी	2x30	राज्य	केरल	1	30	24.12.2024
						2	30	24.12.2024
3.	उहल-III	बीवीपीसीएल	3x33.33	राज्य	हिमाचल प्रदेश	1	33.33	28.02.2025
						2	33.33	05.03.2025
						3	33.33	03.03.2025
4.	पार्वती चरण- II	एनएचपीसी	4x200	केंद्रीय	हिमाचल प्रदेश	1	200	28.03.2025
						2	200	24.03.2025
						3	200	26.03.2025
	उप-योग (वर्ष 2024-25)						800	
	2025-26						0	
	उप-योग (वर्ष 2025-26)						0	
	कुल योग (वर्ष 2020-21 से 2025-26)						1883	

कार्यान्वयनाधीन जलविद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम (कार्यान्वयन एजेंसी)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला	स्थापित क्षमता (सं. X मेगावाट)	कार्यान्वयनाधीन क्षमता (मेगावाट)
	केंद्रीय क्षेत्र				
	एनएचपीसी				
1	सुबनसिरी लोअर (एनएचपीसी)	अरुणाचल प्रदेश/असम	लोअर सुबनसिरी, अरुणाचल प्रदेश /धेमाजी, असम	8x250	2000
2	पार्वती चरण II (एनएचपीसी)	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	1x200	200
3	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (एनएचपीसी)	अरुणाचल प्रदेश	लोअर दिबांग घाटी	12x240	2880
4	तीस्ता चरण VI एनएचपीसी	सिक्किम	दक्षिण सिक्किम	4x125	500
5	रंगित-IV (एनएचपीसी)	सिक्किम	पश्चिम सिक्किम	3x40	120
6	रतले (आरएचईपीपीएल/एनएचपीसी)	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	किश्तवाड़	4x205 + 1x30	850
	सीवीपीपीएल				
7	पाकल दुल (सीवीपीपीएल)	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	किश्तवाड़	4x250	1000
8	किरू (सीवीपीपीएल)	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	किश्तवाड़	4x156	624
9	क्वार (सीवीपीपीएल)	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	किश्तवाड़	4x135	540
	एसजेवीएन				
10	लुहरी-I (एसजेवीएन)	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू/शिमला	2x80+2x25	210
11	धौलासिद्ध (एसजेवीएन)	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर/कांगड़ा	2x33	66
12	सुन्नी बांध (एसजेवीएन)	हिमाचल प्रदेश	शिमला/मंडी	4x73+1x73+1x17	382
	टीएचडीसी				
13	विष्णुगाड पीपलकोटी (टीएचडीसी)	उत्तराखंड	चमोली	4x111	444
	एनटीपीसी				
14	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	उत्तराखंड	चमोली	4x130	520
15	रम्मम-III (एनटीपीसी)	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	3x40	120
उप-योग: केंद्रीय क्षेत्र					10456
	राज्य क्षेत्र				
	एपीजेनको				
16	पोलावरम (एपीजीईएनसीओ/सिंचाई)	आंध्र प्रदेश	पूर्व एवं पश्चिम	12x80	960

	विभाग, आंध्र प्रदेश)		गोदावरी		
17	लोअर सिलेरू एक्सटेंशन (एपीजीईएनसीओ)	आंध्र प्रदेश	अल्लूरी सीतामराजू	2x115	230
	एचपीपीसीएल				
18	शॉगटॉग करचम (एचपीपीसीएल)	हिमाचल प्रदेश	किन्नौर	3x150	450
19	चांजू-III (एचपीपीसीएल)	हिमाचल प्रदेश	चंबा	3x16	48
	केएसईबी				
20	मनकुलम (केएसईबी)	केरल	इडुक्की	2x20	40
	एपीजीसीएल				
21	लोअर कोपली (एपीजीसीएल)	असम	दीमा हसाओ और कार्बी आंगलॉग	2x55+2x2.5+1x5	120
	जेकेपीडीसी				
22	परनई (जेकेएसपीडीसी)	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	पुंछ	3x12.5	38
	पीएसपीसीएल				
23	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल/सिंचाई विभाग, पंजाब)	पंजाब	पठानकोट	3x33+3x33+1x8	206
	यूजेवीएनएल				
24	लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना (यूजेवीएनएल)	उत्तराखंड	देहरादून और टिहरी गढ़वाल	3x100	300
उप-योग: राज्य क्षेत्र					2392
	निजी क्षेत्र				
	स्टेटक्राफ्ट				
25	टिडॉग-I (स्टेटक्राफ्ट आईपीएल)	हिमाचल प्रदेश	किन्नौर	3x50	150
	जेएसडब्ल्यू				
26	कुटेहर (जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड)	हिमाचल प्रदेश	चंबा	3x80	240
उप-योग: निजी क्षेत्र					390
कुल					13238

**जलविद्युत परियोजनाओं से संस्थापित क्षमता और उत्पादन
(क्षमता 25 मेगावाट से अधिक)**

राज्य	स्टेशन का नाम	संस्थापित क्षमता	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (फरवरी, 2025 तक)
		(मेगावाट में)	आंकड़े मिलियन यूनिट (एमयू) में हैं				
आंध्र प्रदेश	लोअर सिलेरू एचपीएस	460	1292.6	896.2	1078.6	1004.7	1111.8
	नागार्जुन एसजीआर टीपीडी	50	54.7	137.6	98.0	0.7	92.4
	नागार्जुन एसजीआर आरबीसी एचपीएस	90	155.6	279.1	297.8	0.1	211.8
	श्रीशैलम एचपीएस	770	1157.3	1438.9	1883.3	6.1	1166.5
	अपर सिलेरू एचपीएस	240	620.1	362.0	389.9	361.7	485.0
अरुणाचल प्रदेश	कामेंग एचपीएस	600	1529.8	2576.4	2912.8	2652.1	2627.1
	पारे एचपीएस	110	522.3	430.6	531.9	448.7	368.3
	रंगनाडी एचपीएस	405	1399.3	1154.3	1376.3	1177.4	1025.7
असम	कार्बी लेंगपी एचपीएस	100	203.0	401.1	481.6	328.9	401.5
	खोंडोंग एचपीएस	50	67.8	275.1	0.0	0.0	0.0
	कोपिली एचपीएस	200	0.0	0.0	0.0	285.8	543.1
छत्तीसगढ़	हसदेवबांगो एचपीएस	120	419.2	404.1	237.4	321.8	372.3
गुजरात	एस सरोवर सीएचपीएच एचपीएस	250	1087.0	824.3	1241.1	1189.5	1132.3
	उकई एचपीएस	300	651.1	655.2	977.2	580.3	713.4
हिमाचल प्रदेश	एलेन डुहांगन एचपीएस	192	640.5	637.4	640.1	587.7	642.5
	बैरा स्यूल एचपीएस	180	457.6	587.2	627.9	542.1	506.1
	बाजोली होली एचपीएस	180	-	-	421.5	708.2	710.7
	बसपा एचपीएस	300	1311.2	1320.4	1351.9	1162.8	1338.0
	बस्सी एचपीएस	66	309.0	317.4	307.1	295.7	302.1
	भाखड़ा लेफ्ट एचपीएस	630	2389.4	2189.1	2290.3	2678.5	2241.0
	भाखड़ा राइट एचपीएस	785	3046.6	2168.5	2734.4	3070.8	2516.4
	बुधिल एचपीएस	70	276.0	251.4	274.2	256.3	275.9
	चमेरा-I एचपीएस	540	2264.9	1899.3	1889.1	2169.7	1974.9
	चमेरा-II एचपीएस	300	684.6	1358.7	1326.8	1208.7	1290.4
	चमेरा-III एचपीएस	231	995.9	1004.3	1001.9	845.1	978.8
	चांजू-I एचपीएस	36	159.4	146.5	140.0	155.0	150.0
	देहर एचपीएस	990	2993.3	3109.7	3034.9	2815.0	2801.0
	गिरी बाटा एचपीएस	60	164.8	227.6	231.8	232.8	144.0
	करछम वांगटू एचपीएस	1045	4361.4	4243.5	4284.9	3786.4	4425.7
	काशांग एकीकृत एचईपी	195	13.0	209.4	157.0	176.6	227.2
	कोलदम	800	3221.4	3120.1	3132.8	2952.1	3254.3
	लारजी एचपीएस	126	616.3	580.9	611.2	213.5	273.3
	मलाणा एचपीएस	86	334.9	315.0	320.9	249.1	234.0

	मलाणा-॥ एचपीएस	100	370.5	345.7	343.5	140.7	184.0
	नाथपा झाकरी एचपीएस	1500	7099.0	7067.4	7133.0	6310.1	7202.6
	पारबती-॥ एचपीएस	520	616.9	613.3	651.9	293.4	553.8
	पोंग एचपीएस	396	1775.6	1103.7	1564.4	1807.1	1460.7
	रामपुर एचपीएस	412	1995.4	1981.2	1997.5	1778.1	2011.7
	सैंज एचपीएस	100	424.8	418.8	423.1	362.2	406.7
	संजय एचपीएस	120	474.3	642.8	629.3	537.0	574.7
	सावरा कुड्डू एचपीएस	111	-	21.3	324.0	307.5	256.1
	शानन एचपीएस	110	477.1	521.9	503.1	492.3	480.2
	सोरंग एचपीएस	100	-	57.2	318.3	231.6	381.0
जम्मू एवं कश्मीर	बगलिहार एचपीएस	450	2657.9	2676.9	2712.1	2574.3	2575.3
	बगलिहार ॥ एचपीएस	450	1447.0	1561.0	1467.1	1554.5	1527.3
	दुलहस्ती एचपीएस	390	2329.6	2216.1	2082.9	2087.3	2141.4
	किशनगंगा एचपीएस	330	1111.5	1506.4	1454.1	1270.4	1233.4
	लोअर झेलम एचपीएस	105	561.2	623.0	612.5	511.2	438.0
	सलाल एचपीएस	690	3632.2	3485.5	3240.1	3366.7	3081.3
	सेवा-॥ एचपीएस	120	376.1	62.9	508.1	551.9	310.6
	अपर सिंध-॥ एचपीएस	105	274.8	255.2	265.4	141.8	99.9
	उरी-॥ एचपीएस	480	2986.4	3037.5	2861.5	2426.9	1696.0
	उरी-॥ एचपीएस	240	1626.1	1649.5	1573.8	1389.3	1128.5
झारखंड	पंचेट एचपीएस	80	173.1	245.5	136.5	100.0	110.4
	सुवर्णरेखा-॥ एचपीएस	65	0.0	152.4	92.6	49.4	97.8
	सुवर्णरेखा-॥ एचपीएस	65	50.0	150.1	76.4	47.4	53.5
कर्नाटक	अलमाटी डीपीएच एचपीएस	290	643.7	499.6	626.6	242.1	612.8
	भादरा एचपीएस	26	56.7	72.3	104.7	26.7	55.4
	गेरुसुप्पा एचपीएस	240	480.6	543.3	566.1	347.9	515.6
	घाट प्रभा एचपीएस	32	110.1	95.0	87.2	42.7	94.5
	हम्पी एचपीएस	36	72.3	103.0	104.8	65.3	86.2
	जॉंग एचपीएस	139.2	373.8	554.3	551.0	342.7	389.4
	कादरा एचपीएस	150	410.3	402.1	355.7	278.8	458.6
	कलिनाडी एचपीएस	900	3147.2	3687.0	2843.5	2536.3	3440.2
	कलिनादी सुपा एचपीएस	100	443.5	609.8	377.0	425.7	548.7
	कोडासाली एचपीएस	120	383.0	425.6	345.3	283.1	454.7
	लिगनमक्की एचपीएस	55	255.5	277.9	254.2	150.1	161.1
	मुनिराबाद एचपीएस	28	102.1	132.1	114.9	31.7	118.2
	शरवती एचपीएस	1035	4582.7	4994.3	5220.8	3358.3	4455.5
	सिवासमुंद्रम एचपीएस	42	321.1	301.0	285.9	160.5	132.4
	टी बी बांध एचपीएस	36	111.5	102.0	88.5	33.5	94.4
	वराही एचपीएस	460	1093.1	1137.3	1231.1	647.9	1021.2
केरल	इदमालयार एचपीएस	75	290.0	377.0	409.4	198.2	303.4
	इडुक्की एचपीएस	780	2530.2	3709.9	3261.8	1644.5	2168.5
	कक्कड़ एचपीएस	50	184.9	272.6	243.3	188.9	197.4
	कुट्टियाडी अतिरिक्त विस्तार	100	358.3	400.4	416.3	271.9	400.6
	कुट्टियाडी एक्सटेंशन एचपीएस	50	176.9	151.8	172.6	152.3	176.6

	कुट्टियाडी एचपीएस	75	212.9	194.5	198.2	98.3	149.4
	लोअर पेरियार एचपीएस	180	538.0	811.9	688.7	489.1	572.2
	नारियामंगलम एचपीएस	52.65	284.7	312.4	237.8	182.6	228.6
	पल्लीवासल एचपीएस	37.5	134.3	162.3	147.6	157.3	136.9
	पन्नियार एचपीएस	30	181.3	210.7	199.0	164.8	165.3
	पोरिंगलकुट्टू एचपीएस	32	153.5	220.4	157.3	96.2	145.7
	सबरीगिरी एचपीएस	300	1227.6	2047.5	1532.3	1129.5	1256.6
	सैंगुलम एचपीएस	48	117.5	183.6	126.6	132.2	117.0
	शोलेयार एचपीएस	54	238.4	262.5	198.3	249.8	225.0
	थोट्टियार एचपीएस	40	-	-	-	-	14.8
लद्दाख	चुतक एचपीएस	44	158.6	170.5	166.8	158.6	166.4
	निम्मो बाज़गो एचपीएस	45	217.6	235.4	236.0	229.9	231.7
मध्य प्रदेश	बाणसागर टॉस-I एचपीएस	315	1184.2	1121.5	638.5	798.8	885.0
	बाणसागर-II एचपीएस	60	111.7	85.4	75.4	105.6	98.5
	बाणसागर-III एचपीएस	30	135.6	49.9	137.6	165.4	112.0
	बरगी एचपीएस	90	434.1	382.4	429.8	455.1	469.7
	गांधी सागर एचपीएस	115	148.4	211.7	288.9	295.5	228.6
	इंदिरा सागर एचपीएस	1000	2793.6	1717.2	3661.1	2999.7	3469.8
	मढीखेड़ा एचपीएस	60	118.2	116.5	169.8	49.5	101.9
	ओंकारेश्वर एचपीएस	520	1442.6	928.2	1782.4	1470.8	1755.5
	राजघाट एचपीएस	45	109.0	74.0	125.6	104.6	99.7
महाराष्ट्र	भंडारदरा एचपीएस चरण-II	34	34.3	33.9	19.3	23.5	26.2
	भीरा एचपीएस	150	358.9	397.2	401.6	432.3	424.4
	भीरा टेल रेस एचपीएस	80	97.3	101.0	81.4	75.3	64.3
	भिवपुरी एचपीएस	75	299.7	272.3	329.7	316.1	319.8
	खोपोली एचपीएस	72	280.2	293.1	299.5	283.1	273.8
	कोयना डीपीएच एचपीएस	36	165.4	132.5	166.5	175.3	150.0
	कोयना-I&II एचपीएस	600	1226.2	1259.4	1224.1	985.7	861.2
	कोयना-III एचपीएस	320	585.2	673.9	839.8	528.6	477.2
	कोयना-IV एचपीएस	1000	1195.8	1573.4	1241.3	1264.1	1134.2
	पेंच एचपीएस	160	414.9	304.5	365.2	367.2	419.9
	टिलारी एचपीएस	60	106.5	116.7	126.7	47.2	99.4
	वैतरणा एचपीएस	60	42.8	128.6	171.2	139.5	82.2
मणिपुर	लोकतक एचपीएस	105	621.6	455.5	478.0	298.2	687.4
मेघालय	किर्डेमकुलई एचपीएस	60	163.7	110.2	130.6	111.3	88.1
	मिन्तु (लेश्का)चरण-1 एचपीएस	126	420.6	380.4	359.7	304.1	359.9
	नई उमत्रुएचपीएस	40	229.8	160.8	196.2	163.6	179.9
	उमियाम एचपीएस चरण-I	36	149.5	64.9	117.7	85.5	106.9
	उमियाम एचपीएस चरण-IV	60	188.3	125.5	176.0	144.2	139.9
मिजोरम	तुइरियल एचपीएस	60	158.9	137.4	204.1	118.6	235.9
नागालैंड	डोयांग एचपीएस	75	203.9	100.6	177.4	165.5	212.5
ओडिशा	बालिमेला एचपीएस	510	1656.1	1062.0	1004.9	1035.3	1585.3
	चिपलिमा एचपीएस	72	324.8	268.1	326.1	310.4	206.0
	हीराकुंड एचपीएस	287.8	628.2	707.7	904.8	866.7	755.7
	मचकुंड एचपीएस	114.75	666.1	718.5	543.7	863.0	421.9

	रैगाली एचपीएस	250	1014.8	866.4	758.6	779.5	873.9
	अपर इंद्रावती एचपीएस	600	1757.3	1156.7	1380.4	1726.1	1281.3
	अपर कोलाब एचपीएस	320	812.8	451.2	544.4	581.3	733.5
पंजाब	आनंदपुर साहिब-I एचपीएस	67	276.1	197.1	238.7	237.2	236.3
	आनंदपुर साहिब-II एचपीएस	67	297.8	199.2	245.7	237.3	220.6
	गंगुवाल एचपीएस	77.65	635.6	609.9	599.0	610.8	540.7
	कोटला एचपीएस	77.65	637.5	613.9	601.6	601.1	535.7
	मुकेरियां-I एचपीएस	45	1096.6	572.6	670.8	261.3	242.6
	मुकेरियां-II एचपीएस	45	86.4	99.7	150.8	268.1	258.6
	मुकेरियां-III एचपीएस	58.5	108.7	127.9	192.1	328.5	336.8
	मुकेरियां-IV एचपीएस	58.5	109.5	126.4	193.3	289.2	299.7
	रंजीत सागर एचपीएस	600	1498.9	1163.0	1507.7	1843.0	1211.1
राजस्थान	जवाहर सागर एचपीएस	99	257.2	210.7	315.8	310.5	257.9
	माही बजाज-I एचपीएस	50	155.6	135.1	168.0	143.1	139.5
	माही बजाज-II एचपीएस	90	46.8	52.7	74.2	69.6	51.0
	आर पी सागर एचपीएस	172	10.1	83.3	409.5	490.8	350.8
सिक्किम	चुजाचेन एचपीएस	110	488.4	514.2	503.9	473.1	392.3
	डिक्चु एचपीएस	96	459.0	481.5	535.9	394.1	24.7
	जोरेथांग लूप	96	399.9	424.7	433.5	356.9	403.5
	रंगित एचपीएस	60	288.7	337.7	332.4	297.0	306.1
	रोंगनिचू एचपीएस	113	-	295.4	434.8	396.8	392.6
	ताशीडिंग एचपीएस	97	369.8	453.1	445.9	433.2	445.6
	तीस्ता V एचपीएस	510	2829.8	2671.8	2857.8	1966.0	0.0
	तीस्ता-III एचपीएस	1200	6044.0	6315.5	6152.6	4292.8	0.0
तमिलनाडु	अलियार एचपीएस	60	119.2	22.6	168.6	98.4	142.1
	भवानी बैराज-II एचपीएस	30	81.2	78.7	103.2	54.7	35.3
	भवानी बैराज-III एचपीएस	30	61.0	63.5	65.1	33.5	52.1
	भवानी कट्टल	30	101.7	76.1	128.2	78.1	89.5
	कोडयार-I एचपीएस	60	202.6	207.4	221.7	129.4	54.0
	कोडयार-II एचपीएस	40	90.7	39.0	70.8	6.9	62.7
	कुंडाह-I एचपीएस	60	302.1	262.1	271.1	222.1	115.6
	कुंडाह-II एचपीएस	175	769.0	718.6	742.9	584.5	594.1
	कुंडाह-III एचपीएस	180	460.5	449.2	464.0	366.8	375.8
	कुंडाह-IV एचपीएस	100	137.4	183.0	158.6	88.4	152.4
	कुंडाह-V एचपीएस	40	52.5	40.0	54.3	67.4	27.8
	निचला मेट्टूर-I एचपीएस	30	75.3	78.7	99.7	52.1	64.3
	लोअर मेट्टूर-II एचपीएस	30	75.5	77.2	94.8	50.0	62.8
	लोअर मेट्टूर-III एचपीएस	30	75.9	73.7	88.7	49.9	60.7
	लोअर मेट्टूर-IV एचपीएस	30	63.8	61.5	67.6	40.7	49.3
	मेट्टूर डैम एचपीएस	50	133.8	135.3	226.9	83.4	118.1
	मेट्टूर सुरंग एचपीएस	200	337.2	392.5	797.1	144.7	354.2
	मोयार एचपीएस	36	112.2	104.5	129.0	92.2	40.0
	पापनासम एचपीएस	32	131.8	163.4	129.4	105.5	121.6
	पार्सन्स वैली एचपीएस	30	50.9	41.1	44.7	24.1	39.5
	पेरियार एचपीएस	161	548.0	779.2	661.9	440.1	541.6
	पायकारा एचपीएस	59.2	0.0	0.1	35.3	3.1	20.6

	पायकारा अल्ट्रामेट एचपीएस	150	337.9	322.4	463.5	308.3	328.6
	सरकारपति एचपीएस	30	137.3	143.4	117.1	77.6	89.9
	शोलेयार एचपीएस (तमिलनाडु)	70	290.4	400.2	298.2	202.9	273.5
	सुरुलियार एचपीएस	35	111.1	33.2	0.0	26.5	115.8
तेलंगाना	लोअर जुराला एचपीएस	240	403.3	369.9	432.3	111.6	333.4
	नागार्जुन एसजीआर एचपीएस*	110	1248.7	2262.5	2354.9	540.7	1870.4
	नागार्जुन एसजीआर एलबीसी एचपीएस	60	101.2	148.3	140.0	0.0	122.6
	पोचमपाड एचपीएस	36	91.0	110.8	138.9	76.0	58.9
	प्रियदर्शनी जुराला एचपीएस	234	368.3	344.0	452.9	101.2	344.5
	पुल्लिचिंतला एचपीएस	120	201.4	315.2	330.5	102.0	265.2
उत्तर प्रदेश	खारा एचपीएस	72	325.5	357.6	328.6	273.6	255.4
	मटाटिला एचपीएस	30.6	116.8	87.0	126.4	99.3	107.6
	ओबरा एचपीएस	99	338.9	311.6	160.1	145.4	228.2
	रिहंद एचपीएस	300	791.2	646.5	359.0	332.3	591.6
उत्तराखंड	चिब्रो (यमुना) एचपीएस	240	821.6	903.9	835.0	757.0	721.4
	चिल्ला एचपीएस	144	733.1	799.4	809.6	706.5	643.1
	ढकरानी एचपीएस	33.75	152.7	155.6	135.4	115.4	100.0
	ढालीपुर एचपीएस	51	174.1	246.8	199.8	152.8	209.4
	धौली गंगा एचपीएस	280	1153.2	1212.4	1292.8	974.1	1093.0
	खटीमा एचपीएस	41.4	218.8	229.8	228.7	204.7	171.0
	खोदरी एचपीएस	120	375.5	430.8	402.8	366.2	347.6
	कोटेश्वर एचपीएस	400	1221.5	1190.6	1255.2	1193.1	1143.3
	कुल्हाल एचपीएस	30	133.4	160.1	151.7	127.6	132.5
	मनेरी भाली-I एचपीएस	90	329.2	399.0	405.2	464.1	476.6
	मनेरी भाली-II एचपीएस	304	1288.9	1412.5	1290.2	1200.8	1245.9
	नैटवार मोरी एचपीएस	60	-	-	-	-	214.8
	रामगंगा एचपीएस	198	260.8	249.4	386.9	317.8	335.2
	श्रीनगर एचपीएस	330	1438.0	1421.9	1514.1	1306.4	1405.8
	सिंगोली भटवारी एचपीएस	99	-	80.4	466.0	393.7	423.6
	टनकपुर एचपीएस	94.2	473.2	540.2	535.0	453.4	432.6
	देहरी चरण-1 एचपीएस	1000	3040.3	3098.1	3284.8	3248.6	3142.3
	विष्णु प्रयाग एचपीएस	400	1778.4	1801.2	1910.8	1627.5	1784.9
	व्यासी एचपीएस	120	-	-	331.9	309.4	294.6
पश्चिम बंगाल	जलधाका एचपीएस एसटी-I	36	201.5	178.1	165.9	153.2	169.6
	मैथन एचपीएस	63.2	192.4	221.4	100.1	76.3	152.9
	रम्माम एचपीएस	50	254.7	268.3	245.6	162.9	200.3
	तीस्ता लो डैम-III एचपीएस	132	541.3	601.5	599.4	418.9	141.1
	तीस्ता लो डैम-IV एचपीएस	160	719.0	736.8	734.6	638.2	585.9
	कुल योग	42,223*	1,44,174	1,46,239	1,53,554	1,28,830	1,31,631

(*):- नागार्जुन सागर एचपीएस में पारंपरिक और पंप स्टोरेज स्कीम का संयोजन शामिल है। हालाँकि, उत्पादन के आंकड़े समेकित क्षमता के लिए हैं।

नोट (*): कुल संस्थापित क्षमता लगभग 42,983 मेगावाट है, जिसमें हाल ही में शुरू की गई पल्लीवासल विस्तार एचईपी (60 मेगावाट), उहल-III एचईपी (100 मेगावाट) और पार्वती-II एचईपी (600 मेगावाट) शामिल हैं।

रुकी हुई जलविद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची

क्र.सं.	स्कीम निष्पादन एजेंसी का नाम	क्षेत्र	राज्य/जिला	संस्थापित क्षमता	निष्पादन के अधीन क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक प्रगति (%) में)	वर्तमान स्थिति
क	न्यायाधीन मामलों के कारण रुकी हुई परियोजनाएं						
1	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	उत्तराखंड/चमोली	3x57	171	3.8%	मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अवसंरचना कार्य लगभग पूरा हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लता तपोवन सहित उत्तराखंड में 24 जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर रोक लगा दी है। मई, 2014 से काम रुका हुआ है।
2	महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	निजी	मध्य प्रदेश /खरगोन एवं खंडवा	10x40	400	85%	मामला न्यायालय में विचाराधीन है। डेवलपर के साथ नकदी प्रवाह की समस्या के कारण नवंबर, 11 से काम स्थगित है। एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने दिनांक 18.04.2020 को एसएमएचपीसीएल के साथ विद्युत खरीद समझौता समाप्त कर दिया है। पीएफसी का आवेदन आईबीसी के तहत दिनांक 27.09.2022 को एनसीएलटी में स्वीकार किया गया है। एनटेग्रा लिमिटेड द्वारा दायर आवेदन में एनसीएलटी द्वारा दिनांक 17.03.2023 के आदेश के तहत सीआईआरपी को रोक दिया गया है। पीएफसी ने सीआईआरपी को फिर से शुरू करने के लिए एनसीएलटी के दिनांक 17.03.2023 के आदेश के विरुद्ध एनसीएलटी के समक्ष अपील दायर की है।

3	भस्मे (गति इंफ्रास्ट्रक्चर) प्राइवेट लिमिटेड	निजी	सिक्किम/पूर्वी सिक्किम	2x25.5	51	30%	मामला न्यायालय में विचाराधीन है। भस्मे एचईपी के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त समाधान पेशेवर ने कहा कि सितंबर, 2016 से काम रुका हुआ है। गति इंफ्रा के खिलाफ सीआईआरपी शुरू की गई है और एनसीएलटी ने समाधान पेशेवर नियुक्त किया है। गति इंफ्रास्ट्रक्चर भस्मे पावर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में समाधान पेशेवर को 4 समाधान योजना प्राप्त हुई है और वे ऋणदाताओं की समिति से अनुमोदनार्थ लंबित हैं।
उप योग					622		
ख	निधि की कमी के कारण रुकी हुई परियोजनाएं						
1	तांगनू रोमई पावर जनरेशन पावर लिमिटेड	निजी	हिमाचल प्रदेश/शिमला	2x22	44	20%	अगस्त, 2016 से कार्य रुका हुआ है। माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच के 06 मई, 2024 के आदेश के अनुसार दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 (आईबीसी) के तहत कॉर्पोरेट देनदार (टीआरपीजीपीएल) के संबंध में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू की गई है।
2	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो) पावर वेंचर्स लिमिटेड	निजी	सिक्किम/पश्चिम सिक्किम	2x33	66	20%	दिसंबर, 2017 से कार्य रुका हुआ है। डेवलपर के पास निधि की कमी है। राज्य सरकार द्वारा कंपनी को निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने में देरी हुई, पर्यावरण मंजूरी समाप्त
उप योग					110		
ग	परियोजना स्थल तक पहुंच के कारण रुकी हुई परियोजना						

1	पनान (हिमागिरी) हाइड्रो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड.	निजी	सिक्किम/उत्तरी सिक्किम	4x75	300	शून्य	शुरुआत में, परियोजना ने सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त कीं और वर्ष 2011 में निर्माण शुरू हुआ, लेकिन 2011 में आए भूकंप ने वर्ष 2012 तक प्रगति में देरी की। 2016 में आई बाढ़ ने अवसंरचना को बहा दिया, जिससे निर्माण में और बाधा आई। इसके अतिरिक्त, मंटम झील के निर्माण ने और भी चिंताएँ पैदा कीं। परियोजना को एनबीडब्ल्यूएल मंजूरी प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ा, जो अंततः वर्ष 2019 में प्राप्त हुई। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 से 2021 तक लॉकडाउन रहा, जिससे फिर से प्रगति में देरी हुई। अक्टूबर 2023 में, अचानक आई बाढ़ ने अवसंरचना को बाधित कर दिया, और फरवरी, 2025 में तीस्ता पुल के ढहने से परियोजना पूरी तरह से रुक गई।
			उप योग		300		
घ	अन्य मामलों के कारण रुकी परियोजनाएँ						

1	लोअर कलनाई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र/किश्तवाड़	2x24	48	10%	जम्मू-कश्मीर में लोअर कलनाई हाइडल प्रोजेक्ट (48 मेगावाट) को ठेकेदार के दिवालिया होने के कारण देरी का सामना करना पड़ा। दिनांक 12 सितंबर, 2013 को अवार्ड की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसकी समाप्ति की समय सीमा सितंबर, 2017 थी। ठेकेदार की खराब प्रगति और दिवालियापन के कारण, जेकेएसपीडीसी ने कुल 79.532 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को भुनाने और अनुबंध को समाप्त करने का फैसला किया। मेसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ ईपीसी अनुबंध अगस्त, 2019 में समाप्त कर दिया गया था। संशोधित परियोजना लागत मार्च, 2022 में निविदा की गई, जिसमें मेसर्स एमईआईएल सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में उभरी। हालांकि, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति और मुफ्त बिजली और पानी के उपयोग शुल्क पर छूट सहित छूट की आवश्यकता के कारण परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता अनिश्चित बनी हुई है।
2	फाटा ब्यूंग (लैंको)	निजी	उत्तराखंड/रुद्रप्रयाग	2x38	76	74.0%	वित्तीय संकट के कारण जुलाई, 2017 से कार्य रुका हुआ है। यह परियोजना दिनांक 23.03.2023 को एनसीएलटी के माध्यम से मेसर्स स्टेटक्राफ्ट आईएच को आवंटित की गई है।
			उपयोग		124		
			कुल		1156		

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5300
दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

ऊर्जा दक्षता को दोगुना करने का लक्ष्य

5300. श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की वर्ष 2030 तक ऊर्जा दक्षता को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सतत और ऊर्जा दक्ष कूलिंग समाधानों तक पहुंच सुनिश्चित करके कूलिंग की बढ़ती मांग की चुनौती का समाधान करने के लिए सरकार की क्या योजना है;

(ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा उद्योगों, परिवहन, घरों और अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

माननीय विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : सरकार ने प्रमुख क्षेत्रों जैसे उद्योग, भवन (उपकरणों सहित), परिवहन और अन्य/विविध क्षेत्रों में योजनाएँ तैयार की हैं। इन योजनाओं के कार्यन्वयन से, इसका उद्देश्य, उस परिदृश्य की तुलना में जिसमें ये हस्तक्षेप नहीं किए जाते हैं, वर्ष 2030 में ऊर्जा खपत को 89 मिलियन टन तेल समतुल्य (एमटीओई) तक कम करना है।

(ख) : संधारणीय शीतलन बढ़ती शीतलन मांग का समाधान करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। सतत और ऊर्जा कुशल शीतलन समाधान सुनिश्चित करते हुए बढ़ती शीतलन मांग को संतुलित करने के लिए, दो नए भवन कोड: वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय भवन संहिता (ईसीएसबीसी) और आवासीय भवनों के लिए इको निवास संहिता (ईएनएस) को राज्यों द्वारा अपनाने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा प्रकाशित किया गया है। एयर कंडीशनर, सीलिंग फैन और रेफ्रिजरेटर को मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अनिवार्य अनुपालन के अंतर्गत लाया गया है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग शीतलन उद्देश्यों के लिए हो।

इसके अतिरिक्त, बढ़ती शीतलन मांग का समाधान करने के व्यापक लक्ष्य के साथ, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने भारत शीतलन कार्य योजना (आईसीएपी) शुरू की।

(ग) एवं (घ) : विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने उद्योग, परिवहन और घरेलू क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- I. ऊर्जा-गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार स्कीम। यह क्षेत्र-विशिष्ट ऊर्जा कटौती लक्ष्य निर्धारित करता है, जिससे उद्योगों को लक्ष्य से अधिक प्राप्त करने के लिए ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनुमति मिलती है, जिसका विद्युत एक्सचेंजों पर कारोबार किया जा सकता है। यह अनुपालन में अनुकूलन प्रदान करते हुए लागत प्रभावी ऊर्जा बचत को प्रोत्साहित करता है।
- II. मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रमुख ऊर्जा खपत करने वाले उपकरणों को 1 से 5 तक स्टार रेटिंग दी जाती है, जिसमें 5 स्टार सबसे दक्ष उपकरण के रूप में होता है। स्टार लेबल के आधार पर, उपभोक्ता को ऊर्जा दक्ष उपकरणों की खरीद के बारे में सूचित विकल्प चिन्हित बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे विद्युत की खपत में बचत होती है।
- III. भवन क्षेत्र में ऊर्जा बचत के लिए वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय भवन संहिता (ईसीएसबीसी) और आवासीय भवनों के लिए इको निवास संहिता (ईएनएस) प्रकाशित की गई हैं। इन संहिताओं को राज्यों/स्थानीय निकायों द्वारा अपनाया और लागू किया जाना है।
- IV. परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा बचत के लिए यात्री कारों के लिए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता मानदंड।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5309

दिनांक 03 अप्रैल 2025 को उत्तरार्थ

ईवी चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ावा देना और अपनाना

5309. श्रीमती हिमाद्री सिंह:

श्री भोजराज नाग:

कैप्टन बृजेश चौटा:

श्री आलोक शर्मा:

श्री पी. सी. मोहन:

डॉ. भोला सिंह:

श्री दामोदर अग्रवाल:

डॉ. निशिकान्त दुबे:

सुश्री कंगना रनौत:

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:

डॉ. विनोद कुमार बिंद:

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:

श्री दिनेशभाई मकवाणा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी राज्यों के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विशेषकर छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बंगलुरु और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग अवसंरचना अपनाने को बढ़ावा देने और ईवी के संबंध में एक सामान्य स्पष्ट नीति बनाने हेतु कदम उठा रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थापित किए गए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ईवी चार्जिंग स्टेशनों में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में ओडिशा और उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार टियर-2 और टियर-3 शहरों सहित ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग अवसंरचना की उपलब्धता का विस्तार किस प्रकार किया जा रहा है;

(घ) क्या ईवी चार्जिंग संबंधी शुल्क को विनियमित करने और इसकी किफायती कीमतें सुनिश्चित करने के लिए कोई नीतिगत हस्तक्षेप की योजना बनाई गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ईवी अवसंरचना के विस्तार में किन्हीं चुनौतियों को चिह्नित किया है और यदि हां, तो उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) उक्त योजना के अंतर्गत भोपाल जिले में कितनी प्रगति हुई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ग्रामीण और अर्ध-शहरी आबादी के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (घ) : विद्युत मंत्रालय ने अप्रैल 2018 में स्पष्ट किया है कि चार्जिंग स्टेशनों को विद्युत अधिनियम 2003 के तहत किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, मंत्रालय ने सितंबर, 2024 में "इलेक्ट्रिक

वाहन चार्जिंग अवसंरचना की संस्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश-2024" जारी किए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू ये दिशानिर्देश एक अंतर-संचालन ईवी चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने के लिए मानकों को रेखांकित करते हैं। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रकार हैं:

- I. सार्वजनिक भूमि को राजस्व-साझाकरण मॉडल पर सरकार/सार्वजनिक संस्थाओं को 1.0 रुपये/किलोवाट घंटा की दर से 10 वर्षों के लिए दिया जा सकता है; और निजी संस्थाओं को उसी न्यूनतम मूल्य (अर्थात् 1.0 रुपये/किलोवाट घंटा) पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बोली के माध्यम से दिया जा सकता है।
- II. डिस्कॉम को 150 किलोवाट तक के चार्जिंग स्टेशनों के लिए शीघ्र समयसीमा के साथ विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित करना होगा।
- III. राज्य सरकारें चार्जिंग स्टेशनों के चौबीसों घंटे संचालन को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान करेंगी।

ईवी चार्जिंग टैरिफ को विनियमित करने और किफायती दरों पर चार्जिंग सुनिश्चित करने के लिए, दिशा-निर्देश निम्नानुसार प्रावधान करते हैं:

- I. सीमित विद्युत टैरिफ:- दिनांक 31 मार्च, 2028 तक आपूर्ति की औसत लागत (एसीओएस) पर सीमित एकल-भाग टैरिफ।
- II. सौर घंटों के दौरान एसीओएस पर 30% की छूट और गैर-सौर घंटों के दौरान 30% अधिभार दिया जाएगा।
- III. सार्वजनिक और सामुदायिक स्टेशनों के लिए समय-आधारित चार्जिंग शुल्क:-
 - एसी चार्जिंग: सौर घंटों (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक) के दौरान 3.0 रु प्रति यूनिट, गैर-सौर घंटों के दौरान 4.0 रु प्रति यूनिट।
 - डीसी चार्जिंग: सौर घंटों के दौरान 11.0 रु प्रति यूनिट, गैर-सौर घंटों के दौरान 13.0 रु प्रति यूनिट।
- IV. पास-थ्रू लागत:- भूमि लागत और विद्युत टैरिफ को पास-थ्रू लागत के रूप में माना जाएगा, जिससे चार्जिंग सेवा प्रदाताओं पर न्यूनतम वित्तीय बोझ सुनिश्चित होगा।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 28.03.2025 तक देश भर में संस्थापित राज्यवार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का विवरण **अनुबंध** पर है।

(ख): विद्युत मंत्रालय ईवी चार्जिंग स्टेशनों में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा है। भारी उद्योग मंत्रालय ने ईवी अपनाने को बढ़ावा देने, चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने और भारत में एक सुदृढ़ ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए अक्टूबर 2024 में पीएम ई-ड्राइव स्कीम शुरू की। यह स्कीम चार्जिंग अवसंरचना के विकास के लिए अनुदान प्रदान करती है और इसका उद्देश्य ईवी उपयोगकर्ता के विश्वास को बढ़ाने के लिए ई-4डब्ल्यू के लिए 22,000 से अधिक चार्जर, ई-बसों के लिए 1,800 और ई-2डब्ल्यू और ई-3डब्ल्यू के लिए प्रावधान सहित पर्याप्त सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करना है।

(ग): टियर-II और टियर-III शहरों सहित ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना का विस्तार करने के लिए, उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- I. शहरी क्षेत्र – प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन।
- II. राजमार्ग – प्रत्येक 20 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन।
- III. लंबी दूरी के ईवी और भारी वाहन (बसें/ट्रक) – राजमार्ग के प्रत्येक तरफ हर 100 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन।
- IV. ईंधन खुदरा आउटलेटों को प्राथमिकता – तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा संचालित मौजूदा ईंधन स्टेशनों को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
- V. प्रमुख स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन, जिनमें शामिल हैं:
 - आवासीय सोसाइटियों सहित समूह आवास सोसाइटियाँ

- शॉपिंग मॉल, कार्यालय भवन, रेस्तरां और होटल
- शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल

ये दिशानिर्देश ओडिशा और उत्तर प्रदेश सहित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को साइटों के आवंटन की सुविधा प्रदान करने और ईवी चार्जिंग नेटवर्क विस्तार में सहयोग करने के लिए इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदान करने में मदद करते हैं।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 28.03.2025 तक, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 550 और 2113 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन संस्थापित किए गए हैं।

(ड.): विद्युत मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित ईवी चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने में निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियों चिह्नित की हैं, जिनका उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में समाधान करने का लक्ष्य रखा गया है।

- I. चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए स्थलों की उपलब्धता,
- II. उच्च कनेक्टिविटी प्रभार,
- III. बिजली कनेक्शन जारी करने में देरी।
- IV. कुछ स्थानों पर रात में चार्जिंग स्टेशन खोलने की अनुमति।

(च): ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 25 मार्च, 2025 तक भोपाल जिले में 58 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन संस्थापित किए जा चुके हैं।

(छ): ग्रामीण और अर्ध-शहरी आबादी को इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2021 को "गो इलेक्ट्रिक" अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत, राज्यों ने 205 वेबिनार/कार्यशालाएं, 119 रोड शो/रैली और 179 अन्य गतिविधियां जैसे रेडियो जिंगल, पोस्टर/पत्रक वितरण, सोशल मीडिया जागरूकता और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए हैं।

दिनांक 28.03.2025 तक देश भर में राज्यवार संस्थापित सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन

राज्य	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की संख्या
अंडमान और निकोबार	4
आंध्र प्रदेश	614
अरुणाचल प्रदेश	44
असम	311
बिहार	393
चंडीगढ़	14
छत्तीसगढ़	290
दिल्ली	1951
गोवा	155
गुजरात	1008
हरियाणा	808
हिमाचल प्रदेश	114
जम्मू एवं कश्मीर	157
झारखंड	277
कर्नाटक	5879
केरल	1288
लद्दाख	1
लक्षद्वीप	1
मध्य प्रदेश	942
महाराष्ट्र	3842
मणिपुर	50
मेघालय	43
मिजोरम	13
नागालैंड	36
ओडिशा	550
पुदुचेरी	42
पंजाब	607
राजस्थान	1285
सिक्किम	11
तमिलनाडु	1495
तेलंगाना	976
त्रिपुरा	54
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र	6
उत्तर प्रदेश	2113
उत्तराखंड	202
पश्चिम बंगाल	791
कुल योग	26,367

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5329
दिनांक 03 अप्रैल 2025 को उत्तरार्थ

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण

5329. श्री कीर्ति आजाद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) के लिए अनुमोदित वित्तीय परिव्यय और अपेक्षित क्षमता वृद्धि सहित व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2024-25 में 96 करोड़ रुपए से संशोधित अनुमान में 46 करोड़ रुपए तक निधि आवंटन में कमी के क्या कारण हैं और अब तक शून्य व्यय के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2027-28 तक 13200 मेगावाट-घंटे के लक्ष्य के समय पर कार्यान्वयन और उसको प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण पर योजना के प्रभाव और बुनियादी ढांचे की लागत में कमी का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा निधि का इष्टतम उद्योग सुनिश्चित करने और देरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

**विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)**

(क) : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीईएसएस के विकास का सहयोग करने के लिए दिनांक 6 सितंबर 2023 को बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) स्कीम को अनुमोदित किया। स्कीम के अनुसार, वर्ष 2023-26 के दौरान अनुमोदित बीईएसएस के लिए वीजीएफ सहायता प्रदान की जाएगी। निधि संवितरण 5 किस्तों में होगा: परियोजना के वित्तीय समापन पर 10%, वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) की उपलब्धि पर 45%, और सीओडी से अगले 3 वर्षों में प्रति वर्ष 15%। बैटरी की कीमतों में गिरावट के साथ स्कीम की क्षमता 3,760 करोड़ रुपये के स्वीकृत बजटीय आवंटन के भीतर रहते हुए 4000 मेगावाट से बढ़ाकर 13,200 मेगावाट कर दी गई है।

(ख) : वित्तीय समापन पर 10% संवितरण मानते हुए, वर्ष 2024-25 में 1000 मेगावाट बीईएसएस के लिए 96 करोड़ रु का बजटीय प्रावधान किया गया था। हालांकि, बीईएसएस लागत में गिरावट के साथ, वीजीएफ राशि 96 लाख रु प्रति मेगावाट घंटा (वर्ष 2023-24 में अनुमानित) से घटकर 46 लाख रु प्रति मेगावाट घंटा या पूंजीगत लागत की 30%, जो भी कम हो, हो गई। परिणामस्वरूप, बजटीय आवंटन को 96 करोड़ रु से संशोधित कर 46 करोड़ रु कर दिया गया। स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वित्तीय समापन के बाद वीजीएफ का 10% वितरित किया जाना है। चूंकि, कोई भी परियोजना वित्तीय समापन हासिल नहीं कर सकी, इसलिए वर्ष 2024-25 के दौरान स्कीम के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया।

(ग) और (ङ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) स्कीम की निगरानी के लिए उत्तरदायी है, जबकि विद्युत मंत्रालय समय पर पूर्णता और कुशल निधि उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्कीम की देखरेख करता है।

(घ) : राष्ट्रीय विद्युत योजना 2023 का अनुमान है कि वर्ष 2031-32 तक 236 गीगावाट घंटा बीईएसएस की आवश्यकता होगी। यह स्कीम नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण का समर्थन करेगी तथा गैर-सौर घंटों में अधिकतम मांग अवधि के दौरान लागत को न्यूनतम करने में मदद करेगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5347

दिनांक 03 अप्रैल 2025 को उत्तरार्थ

कार्बन बाजार का विकासशील ढांचा

5347: श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:

श्री दामोदर अग्रवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उभरते कार्बन बाजार ढांचे में धोखाधड़ी वाले कार्बन क्रेडिट लेनदेन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार वर्ष 2027 और 2030 के बीच निर्धारित कार्बन कटौती लक्ष्यों के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए कोई योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) निजी क्षेत्र में कार्बन कटौती लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र स्थापित किए जा रहे हैं; और

(ङ) 'प्रकृति 2025' में चर्चा की गई अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखे गए सबक को भारत के जलवायु नीति ढांचे में एकीकृत करने की सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : जून, 2023 में अधिसूचित (संशोधित) कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) के अनुसार, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया भारतीय कार्बन बाजार के लिए रजिस्ट्री है। भारतीय कार्बन बाजार में धोखाधड़ी वाले कार्बन क्रेडिट लेनदेन को रोकने के लिए, भारतीय कार्बन बाजार के लिए रजिस्ट्री को सौंपे गए कार्यों में सुरक्षित डेटा बेस और सभी लेनदेन के रिकॉर्ड बनाए रखना शामिल है। यह रजिस्ट्री भारत के लिए मेटा-रजिस्ट्री भी है।

(ख), (ग) : वर्तमान में, सीसीटीएस के अंतर्गत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन गहनता (जीईआई) लक्ष्यों का अनिवार्य अनुपालन केवल कुछ उत्सर्जन गहन उद्योगों को कवर करता है, जिन्हें "बाध्यकारी संस्थाओं" के रूप में नामित किया गया है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन गहनता (जीईआई) लक्ष्य केवल उन बाध्यकारी संस्थाओं को दिए जाते हैं

जिनकी वार्षिक ऊर्जा खपत कुछ सीमाओं से अधिक है। इसके अलावा, विभिन्न बाध्यकारी संस्थाओं के लिए जीईआई लक्ष्यों को अंतिम रूप देते समय, बाध्यकारी संस्थाओं की यूनिट में संभावित तकनीकी उपायों की सीमांत कमी लागत को ध्यान में रखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी संस्थाओं को व्यावहारिक और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य दिए जाएं।

(घ) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने जुलाई 2024 में सीसीटीएस के अंतर्गत अनुपालन तंत्र के लिए विस्तृत प्रक्रिया प्रकाशित की है, जिसमें सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन (एमआरवी) कार्यवाहियों को शामिल किया गया है। एमआरवी कार्यवाहियों का एक आवश्यक पहलू सत्यापन प्रक्रिया है, जिसके लिए जीएचजी उत्सर्जन आंकड़ों का वार्षिक सत्यापन आवश्यक है। इसके अलावा, बाध्यकारी ईकाइयों द्वारा जीईआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने के मामले में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुआवजा लगाया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है।

(ङ) : कार्बन बाजारों पर “प्रकृति” शीर्षक से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फरवरी, 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें उद्योगों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों ने कार्बन बाजार, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी के उपायों, उनके द्वारा उपयुक्त उपाय अपनाने की संभावना के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए भाग लिया था। इस सम्मेलन से प्राप्त सीख से बाध्य संस्थाओं को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए इष्टतम उपाय चुनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, इस सम्मेलन से प्राप्त सीख से सरकार को सीसीटीएस के नीतिगत ढांचे को अनुकूलित करने में भी मदद मिलेगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5351
दिनांक 03 अप्रैल 2025 को उत्तरार्थ

केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान

5351. श्री धैर्यशील सभाजीराव माणे:

श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:

श्री सुधीर गुप्ता:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत में केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) द्वारा निर्मित विद्युत उपकरणों के प्रमाणन को स्वीकार करने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित देशों के साथ कोई बैठक की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा 1503.21 बिलियन डॉलर के वैश्विक विद्युत उपकरण बाजार पर कब्जा करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, जिसमें चीन का पहले से ही 500 बिलियन डॉलर का हिस्सा है?

उत्तर

माननीय विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) विद्युत उपकरणों की रेटिंग और निष्पादन के प्रमाणन की विश्वस्तरीय मान्यता प्राप्त परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी है। यह संस्थान अत्याधुनिक सुविधा के साथ भारतीय विद्युत उपकरण निर्माताओं के साथ-साथ विदेशी निर्माताओं को भी परीक्षण सेवाएँ देता है।

वर्ष 2023 में, भारतीय विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण संघ (आईईईएमए) ने सीपीआरआई द्वारा जारी किए गए परीक्षण प्रमाणपत्रों को कुछ विदेशी यूटिलिटी द्वारा स्वीकार न करने पर चिंता व्यक्त की थी। इस संदर्भ में, विद्युत मंत्रालय ने केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) परीक्षण रिपोर्ट और प्रमाणपत्रों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए विदेश मंत्रालय और वाणिज्य विभाग के साथ इस मामले को उठाया है।

थाईलैंड, बांग्लादेश, अबू धाबी, कुवैत, अकरा, मस्कट, शारजाह, बहरीन, घाना आदि में भारतीय मिशनों के साथ बैठकें आयोजित की गईं। उपर्युक्त घटनाक्रम के तदुपरांत, वर्तमान में, इन देशों से सीपीआरआई परीक्षण रिपोर्ट को स्वीकार न करने के संबंध में कोई चुनौती नहीं मिली है। इसके अलावा, विभिन्न देशों के विदेशी ग्राहक नियमित आधार पर सीपीआरआई की सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।

(ड) : सरकार द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत इलेक्ट्रिक उपकरण क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं, जिसकी सूची निम्नवत है:

- I. घरेलू निर्मित वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता देने के लिए औद्योगिक स्टीम जनरेटर / बॉयलर पर सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश जारी किया गया है।
- II. सरकार ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई, आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम 2.0 जैसी पीएलआई स्कीम शुरू की हैं और कंपनियों को भारत के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उपकरण विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण स्कीम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से चीन से आयात पर निर्भरता कम करना है।
- III. भारत में इस्पात मंत्रालय द्वारा उत्पादन संबंध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम का उद्देश्य विशेष रूप से इस्पात के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, जो रक्षा, मोटर वाहन और विद्युत उद्योगों जैसे क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली उच्च मूल्य वाली सामग्री है। जुलाई, 2021 में शुरू हुई एवं जनवरी, 2025 में पीएलआई स्कीम 1.1 के रूप में अद्यतित की गई यह स्कीम निर्माताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, निवेश, रोजगार सृजन और तकनीकी उन्नति को प्रोत्साहित करती है। यह स्कीम आयात को कम करके, निर्यात क्षमता को बढ़ाकर और भारत के इस्पात पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करके आत्मनिर्भरता को लक्षित करती है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस स्कीम के तहत कवर किए गए पांच प्रकार के विशेष स्टील में से एक सीआरजीओ स्टील है जिसका उपयोग विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में किया जाता है।
- IV. भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा उन्नत रसायन सेल के निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ उन्नत रसायन सेल (पीएलआई-एसीसी) हेतु पीएलआई स्कीम की शुरुआत की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य 50 गीगावाट घंटा की स्थानीय विनिर्माण क्षमता का निर्माण करना है, जिसमें से 30 गीगावाट घंटा को पहले ही सब्सक्राइब किया जा चुका है।
- V. उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई स्कीम का उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
- VI. इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों और अर्धचालकों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीईसीएस) को दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित किया गया था, ताकि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की चिह्नित की गई सूची के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, यथा-इलेक्ट्रॉनिक घटक, अर्धचालक/निष्पादन निर्माण इकाइयां, एटीएमपी इकाइयां, विशेष उप-

संयोजन की डाउनस्ट्रीम मूल्य श्रृंखला एवं उपर्युक्त वस्तुओं के विनिर्माण के लिए पूंजीगत सामान शामिल हैं।

- VII. निवेश को आकर्षित करने के लिए सामान्य सुविधाओं और सुख-सुविधाओं के साथ-साथ विश्व स्तरीय अवसंरचना निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना और संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना की शुरुआत की गई।
- VIII. वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण (भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों को छोड़कर) के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति है, जो लागू कानूनों/नियमों, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन है।
- IX. इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सेलुलर मोबाइल फोन, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक घटक, टीवी के लिए सेट टॉप बॉक्स, एलईडी उत्पाद और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण शामिल हैं।
- X. निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए अधिसूचित पूंजीगत वस्तुओं को "शून्य" मूल सीमा शुल्क पर आयात करने की अनुमति है।
- XI. देश भर में 65 निर्यात सुविधा केंद्रों (ईएफसी) की स्थापना, जिसका उद्देश्य निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई को अपने उत्पादों और सेवाओं को विदेशी बाजारों में निर्यात करने में अपेक्षित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है।
- XII. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है, जैसे निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5354

दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

5354. श्री. डी.एम.कथीर आनंद:

डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिज़ाची थंगापंडियन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसीएल) निजी लिमिटेड कंपनियों को विद्युत उत्पादन परियोजनाओं, विद्युत अवसंरचना विकास परियोजनाओं और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत चार वर्षों के दौरान आरईसी लिमिटेड द्वारा जिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को ऋण प्रदान किया गया उनकी पूर्ण सूची का वर्षवार और कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आरईसी लिमिटेड ने विगत तीन वर्षों के दौरान कई निजी कंपनियों को पुनर्वित्त ऋण प्रदान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के पुनर्वित्तपोषण के लिए इकाईवार कुल कितनी राशि प्रदान की गई है; और

(घ) क्या आरईसी लिमिटेड ने तमिलनाडु में पंजीकृत प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को कोई ऋण प्रदान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

माननीय विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : जी हाँ। पिछले चार वर्षों के दौरान आरईसी द्वारा वित्तपोषित निजी क्षेत्र की परियोजनाओं की सूची **अनुबंध-I** पर है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आरईसी लिमिटेड द्वारा पुनर्वित्त ऋण प्रदान करने वाली निजी संस्थाओं की सूची **अनुबंध-II** पर है। तमिलनाडु में पंजीकृत निजी लिमिटेड कंपनियों की सूची, जिन्हें आरईसी लिमिटेड ने ऋण प्रदान किया है, **अनुबंध-III** पर है।

पिछले चार वर्षों के दौरान आरईसी द्वारा वित्तपोषित निजी क्षेत्र की परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	उधारकर्ता	परियोजना का विवरण	संस्वीकृत वर्ष (वित्त वर्ष)
विद्युत उत्पादन परियोजनाएं			
1.	जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट अहमदाबाद लिमिटेड	अहमदाबाद, गुजरात में 15 मेगावाट की नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना	वित्त वर्ष 22
2.	श्री अवंतिका	श्री अवंतिका के 3X6 मेगावाट एसएचपी को 14.98 रुपये का अतिरिक्त ऋण	वित्त वर्ष 22
3.	जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी लिमिटेड	तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 540 मेगावाट की पवन परियोजना	वित्त वर्ष 22
4.	जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी लिमिटेड	तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 270 मेगावाट की पवन परियोजना	वित्त वर्ष 22
5.	जीएमआर सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	जीएमआर 2 मेगावाट की सौर परियोजना, आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली	वित्त वर्ष 23
6.	जीएमआर सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	जीएमआर 5 मेगावाट की सौर परियोजना, जीएमआर एमओपीए एयरपोर्ट गोवा	वित्त वर्ष 23
7.	कनक रिन्यूएबल्स लिमिटेड	कुश्तागी और एसआरईआई रिन्यू में 110.40 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना का पुनर्वित्तपोषण	वित्त वर्ष 23
8.	रजत रिन्यूएबल्स लिमिटेड63	कर्नाटक के कुश्तागी में 21 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना का पुनर्वित्तपोषण	वित्त वर्ष 23
9.	रिन्सू सौर ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड	इटिगी और रायचूर में 100 मेगावाट की सौर पीवी परियोजना का पुनर्वित्तपोषण	वित्त वर्ष 23
10.	रिन्सू विंड एनर्जी (बुध 3) प्राइवेट लिमिटेड	कर्नाटक के वडगेरा, निरना और लाधा में 60 मेगावाट की सौर पीवी परियोजना का पुनर्वित्तपोषण	वित्त वर्ष 23
11.	रीन्यू क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	एमपी सोलर मध्य प्रदेश में 51 मेगावाट सौर पीवी परियोजना का पुनर्वित्तपोषण	वित्त वर्ष 23
12.	महान एनर्जिन लिमिटेड फेज-II	2 x 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल कोयला आधारित तापविद्युत संयंत्र	वित्त वर्ष 23
13.	रीन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड	4 चालू पवन ऊर्जा परियोजनाओं का पुनर्वित्तपोषण	वित्त वर्ष 23
14.	ग्रीनको	ग्रीनको एमपी01 प्राइवेट लिमिटेड 1440 मेगावाट स्टैंडअलोन पंप स्टोरेज परियोजना (पीएसपी)	वित्त वर्ष 23
15.	रीन्यू विंड एनर्जी (देवगढ़) प्राइवेट लिमिटेड	वासपेट 4 महाराष्ट्र में 49.5 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना का पुनर्वित्तपोषण	वित्त वर्ष 23
16.	रीन्यू विंड एनर्जी (राजस्थान 3) प्राइवेट लिमिटेड	भेसदा राजस्थान में 100.80 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना का पुनर्वित्तपोषण	वित्त वर्ष 23
17.	एसबी 11 (एसबीएसआर पावर क्लीनटेक इलेवन लिमिटेड)	लागत में वृद्धि - बीकानेर में 300 मेगावाट/450 मेगावाट पी सौर परियोजना	वित्त वर्ष 23
18.	मेसर्स एकमे रायसर सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	300 मेगावाट सौर मेसर्स एकमे रायसर सौर ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड	वित्त वर्ष 23
19.	मेसर्स एकमे धौलपुर पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड	300 मेगावाट सौर मेसर्स एकमे धौलपुर पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड	वित्त वर्ष 23
20.	रीन्यू सोलर एनर्जी (तेलंगाना) प्राइवेट लिमिटेड	डिजिपल्ली तेलंगाना में 143 मेगावाट सौर पीवी परियोजना का पुनर्वित्तपोषण	वित्त वर्ष 23
21.	अडानी रिन्यूएबल एनर्जी फोर्टी-टू लिमिटेड	आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पेददाकोटला में 500 मेगावाट/3165 मेगावाट की स्टैंडअलोन चित्रावती पंप स्टोरेज परियोजना (सीपीएसपी)	वित्त वर्ष 24
22.	अडानी ग्रीन एनर्जी ट्वेंटी-सिक्स बी लिमिटेड	गुजरात के कच्छ के खावड़ा गांव में 167 मेगावाट की सौर पीवी	वित्त वर्ष 24

		परियोजना	
23.	अडानी ग्रीन एनर्जी ट्वेंटी-फोर ए लिमिटेड	गुजरात के कच्छ के खावड़ा गांव में 500 मेगावाट की सेकी पीपीए + 400 मेगावाट की मर्चेट सेल सौर परियोजना	वित्त वर्ष 24
24.	ग्रीनको केए 01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड	कर्नाटक में 1600 मेगावाट पंप स्टोरेज परियोजना	वित्त वर्ष 24
25.	सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया 3 प्राइवेट लिमिटेड	सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया 3 प्राइवेट लिमिटेड की 560 मेगावाट (270 मेगावाट पवन और 290 मेगावाट सौर) ग्रीनफील्ड हाइब्रिड परियोजना	वित्त वर्ष 24
26.	अडानी सोलर एनर्जी आरजे टू प्राइवेट लिमिटेड	अडानी सोलर एनर्जी आरजे टू प्राइवेट लिमिटेड का 150 मेगावाट/205.5 मेगावाट डीसी सौर ऊर्जा संयंत्र	वित्त वर्ष 24
27.	अडानी सोलर एनर्जी आरजे टू प्राइवेट लिमिटेड	अडानी सोलर एनर्जी आरजे टू प्राइवेट लिमिटेड का 180 मेगावाट/246.6 मेगावाट डीसी सौर ऊर्जा संयंत्र	वित्त वर्ष 24
28.	सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया 9 प्राइवेट लिमिटेड (एसआरआई9पीएल)	राजस्थान के फतेहगढ़ जिले में कैप्टिव खपत के लिए 600 मेगावाट ग्रीनफील्ड सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी	वित्त वर्ष 24
29.	ब्लूपाइन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	11 चालू परियोजनाओं 355 मेगावाट एसी/403 मेगावाट पी का पुनर्वित्तपोषण	वित्त वर्ष 24
30.	रिन्यू	रिन्यू ग्रुप की 11 एसपीवी की 13 चालू परियोजनाओं के पुनर्वित्तपोषण के लिए आरटीएल	वित्त वर्ष 24
31.	एज्योर	कई स्थानों पर 615 मेगावाट सौर परियोजना के 7 एसपीवी का पुनर्वित्तपोषण	वित्त वर्ष 24
32.	क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी हाइब्रिड 3 प्राइवेट लिमिटेड	आंध्र प्रदेश में 120 मेगावाट एफडीआरई हीरो परियोजना	वित्त वर्ष 25
33.	आरोही सूर्य प्राइवेट लिमिटेड (एएसपीएल)	50 मेगावाट आरोही सोलर प्राइवेट लिमिटेड (एएसपीएल), अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	वित्त वर्ष 25
34.	एकमे एसोसिएट्स अपोलो पावर प्राइवेट लिमिटेड (एजे एसपीपीएल)	20 मेगावाट एकमे जैसलमेर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड (एजेएसपीपीएल) अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	वित्त वर्ष 25
35.	दयानिधि अपोलो पावर प्राइवेट लिमिटेड (डीएसपीपीएल)	40 मेगावाट दयानिधि सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड (डीएसपीपीएल)	वित्त वर्ष 25
36.	निजाना जापान ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड (सूजीआईपीएल)	20 मेगावाट निरंजना सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एनएसईपीएल) कुरनूल	वित्त वर्ष 25
37.	विशवात्मा आयुर्वेदा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (वीपीएल)	30 मेगावाट विशवात्मा सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (वीएसईपीएल) कुरनूल	वित्त वर्ष 25
38.	मेसर्स जेंटारी रिन्यूएबल्स इंडिया कैंस्टर वन प्राइवेट लिमिटेड (जी रिटेन्सियोपीएल)	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सौर - 850 मेगावाट/ 1232 मेगावाट	वित्त वर्ष 25
39.	एकमे सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड (एपीपीएल)	बांका, बिहार में 15 मेगावाट का सौर संयंत्र बांका,	वित्त वर्ष 25
40.	एकमे मगध सौर पावर प्राइवेट लिमिटेड (एएमईएसपीपीएल)	बिहार में 10 मेगावाट का सौर संयंत्र	वित्त वर्ष 25
41.	एकमे रायपुर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड (एआरएसपीपीएल)	रायपुर, छत्तीसगढ़ में 30 मेगावाट का सौर संयंत्र	वित्त वर्ष 25
42.	जेएसपी ग्रीन विंड 1 प्राइवेट लिमिटेड	1400 मेगावाट जेजीडब्ल्यू1पीएल पवन	वित्त वर्ष 25
43.	अडानी ग्रीन एनर्जी ट्वेंटी सिक्स बी लिमिटेड	900 मेगावाट एजीई 26 बीएल (सोलर+ हाइब्रिड)	वित्त वर्ष 25
44.	एकमे सूर्या पावर प्राइवेट लिमिटेड	250 मेगावाट एकमे एफडीआरई हाइब्रिड	वित्त वर्ष 25
45.	एकमे सोलर टेक्नोलॉजीज (गुजरात) प्राइवेट लिमिटेड (एएसटीपीएल)	आनंद, गुजरात में 15 मेगावाट सौर संयंत्र	वित्त वर्ष 25
46.	एमईआईएल सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	एमईआईएल सौर ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड	वित्त वर्ष 25
47.	रिन्नोवेबिल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	आईआरआईएस फेज 2 रिन्नोवाबिल	वित्त वर्ष 25
48.	आइरिस रिन्यूएबल्स सिक्स प्राइवेट लिमिटेड	आईआरआईएस रिन्यूएबल्स 6 फेज 2	वित्त वर्ष 25
49.	आइरिस रिन्यूएबल्स सिक्स प्राइवेट लिमिटेड (आईआर6पीएल)	हटलगेरी, गडग, कर्नाटक में 99 मेगावाट पवन परियोजना	वित्त वर्ष 25

50.	ग्रीनको एमपी 01 आईआईपी प्राइवेट लिमिटेड	ग्रीनको 1920 मेगावाट पीएसपी को अतिरिक्त ऋण	वित्त वर्ष 25
51.	एकमे सोलर एनर्जी (मध्य प्रदेश) प्राइवेट लिमिटेड (एएसईएमपीपीएल)	राजगढ़, मध्य प्रदेश में 25 मेगावाट सौर संयंत्र	वित्त वर्ष 25
52.	एमएसकेवीवाई फोर्थ सोलर एसपीवी लिमिटेड	208 मेगावाट एमएसकेवीवाई फोर्थ सोलर एसपीवी	वित्त वर्ष 25
53.	एमएसकेवीवाई एठ्थ सोलर एसपीवी लिमिटेड	एमएसकेवीवाई एठ्थ सोलर एसपीवी लिमिटेड	वित्त वर्ष 25
54.	एमएसकेवीवाई चतुर्दश सौर एसपीवी लिमिटेड	एमएसकेवीवाई चतुर्दश सौर एसपीवी लिमिटेड	वित्त वर्ष 25
55.	एमएसकेवीवाई थर्टीन सोलर एसपीवी लिमिटेड	एमएसकेवीवाई थर्टीन सोलर एसपीवी लिमिटेड	वित्त वर्ष 25
56.	एमएसकेवीवाई ट्वेल्थ सोलर एसपीवी लिमिटेड	एमएसकेवीवाई ट्वेल्थ सोलर एसपीवी लिमिटेड	वित्त वर्ष 25
57.	एमएसकेवीवाई सप्तम सौर एसपीवी लिमिटेड	एमएसकेवीवाई सप्तम सौर एसपीवी लिमिटेड	वित्त वर्ष 25
58.	एमएसकेवीवाई सिक्स्थ सोलर एसपीवी लिमिटेड	एमएसकेवीवाई सिक्स्थ सोलर एसपीवी लिमिटेड	वित्त वर्ष 25
59.	एमएसकेवीवाई सेकेंड सोलर एसपीवी लिमिटेड	एमएसकेवीवाई सेकेंड सोलर एसपीवी लिमिटेड	वित्त वर्ष 25
60.	एमएसकेवीवाई थर्ड सोलर एसपीवी लिमिटेड	170 मेगावाट एमएसकेवीवाई थर्ड सोलर एसपीवी	वित्त वर्ष 25
61.	महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड	पीएम-कुसुम के तहत एमएसपीजीसीएल 1071 मेगावाट एसी सौर ऊर्जा परियोजनाएं	वित्त वर्ष 25
62.	एकमे ओडिशा सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड (एओएसपीपीएल)	बोलांगीर, ओडिशा में 25 मेगावाट का सौर संयंत्र	वित्त वर्ष 25
63.	एकमे सोलर रूफटॉप सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (एएसआरएसपीएल)	30 मेगावाट एसीएमई सोलर रूफटॉप सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (आरएसपीएल) भटिंडा (नांगल), पंजाब (संयंत्र-1) और मनसा (झुनीर), पंजाब (संयंत्र-2)	वित्त वर्ष 25
64.	एकमे हीरगढ़ पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड	300 मेगावाट एचपीपीएल को अतिरिक्त ऋण	वित्त वर्ष 25
65.	एक्सएल जेर्गी पावर प्राइवेट लिमिटेड	400 मेगावाट सोलर एक्सएल जेर्गी पीपीएल	वित्त वर्ष 25
66.	सनब्रीज रिन्यूएबल्स नाइन प्राइवेट लिमिटेड	1400 मेगावाट एसआरएनपीएल सोलर	वित्त वर्ष 25
67.	एकमे सन पावर प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान और गुजरात में एकमे 320 मेगावाट एफडीआरई	वित्त वर्ष 25
68.	एकमे जोधपुर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड (एजेएसपीपीएल)	राजस्थान के जोधपुर में 100 मेगावाट का सौर संयंत्र	वित्त वर्ष 25
69.	एकमे रीवा सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एआरएसईपीएल)	रीवा, राजस्थान में 100 मेगावाट का सौर संयंत्र	वित्त वर्ष 25
70.	एनर्जीजेंट पावर प्राइवेट लिमिटेड (ईपीपीएल)	जैसलमेर, राजस्थान और अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में 355.6 मेगावाट ईपीपीएल ग्रीनफील्ड हाइब्रिड परियोजना	वित्त वर्ष 25
71.	टेक ग्रीन पावर XVIII प्राइवेट लिमिटेड (टेक XVIII)	जैसलमेर, राजस्थान और अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में 325.7 मेगावाट टेक XVIII ग्रीनफील्ड हाइब्रिड परियोजना	वित्त वर्ष 25
72.	जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी लिमिटेड	540 मेगावाट पवन जेएसडब्ल्यू को अतिरिक्त ऋण	वित्त वर्ष 25
73.	जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी लिमिटेड	270 मेगावाट पवन जेएसडब्ल्यू को अतिरिक्त ऋण	वित्त वर्ष 25
74.	एकमे महबूबनगर सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एएमएसईपीएल)	महबूबनगर, तेलंगाना में 30 मेगावाट का सौर संयंत्र	वित्त वर्ष 25
75.	एकमे यमुनानगर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड (एवाईएसपीपीएल)	यमुनानगर, तेलंगाना में 30 मेगावाट का सौर संयंत्र	वित्त वर्ष 25
76.	निरोशा पावर प्राइवेट लिमिटेड (एनपीपीएल)	निरोशा, उत्तर प्रदेश में 30 मेगावाट सौर संयंत्र	वित्त वर्ष 25
77.	एकमे पीवी पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड (एपीपीपीएल)	संगारेड्डी, तेलंगाना में 50 मेगावाट का सौर संयंत्र	वित्त वर्ष 25
विद्युत अवसंरचना विकास परियोजनाएं			
78.	मेसर्स मुंद्रा सोलर एनर्जी लिमिटेड (एमएसईएल)	2000 मेगावाट पी सौर मॉड्यूल और सेल का निर्माण	वित्त वर्ष 22
79.	सुजलॉन	सुजलॉन डब्ल्यूटीजी विनिर्माण, ईपीसी व्यवसाय और ओ एंड एम सेवाओं के विरुद्ध मौजूदा ऋण का पुनर्वित्तपोषण भविष्य का नकदी प्रवाह	वित्त वर्ष 22
80.	अवाडा क्लीन सस्टेनेबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	अवाडा क्लीन सस्टेनेबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की जमुआ गांव, जिला बांका, बिहार में 50 मेगावाट एसी (70 मेगावाट डीसी) सौर पीवी परियोजना	वित्त वर्ष 24
81.	खावड़ा भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	गुजरात में इनएसटीएस पारेषण लाइन	वित्त वर्ष 24

82.	एमएसपीवीएल	एमएसपीवीएल की मौजूदा विनिर्माण सुविधा का उन्नयन	वित्त वर्ष 24
83.	एनविल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड - एसटीएल	जम्मू-कश्मीर में उन्नत मीटरिंग अवसंरचना का कार्यान्वयन	वित्त वर्ष 24
84.	आरएस इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	पीएमडीपी-15 योजना के तहत लद्दाख में ट्रांसमिशन लाइन	वित्त वर्ष 24
85.	सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड	पवन (विनिर्माण उद्देश्यों के लिए कॉर्पोरेट ऋण)	वित्त वर्ष 24
86.	सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड	कर्नाटक में 180.6 मेगावाट पवन परियोजना के लिए सुजलॉन को 695 करोड़ रुपये का पीएसएफ	वित्त वर्ष 24
87.	एमपी पावर पैकेज-I	मध्य प्रदेश में इनएसटीएस ट्रांसमिशन लाइन	वित्त वर्ष 24
88.	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-II लिमिटेड	मध्य प्रदेश में इनएसटीएस ट्रांसमिशन लाइन	वित्त वर्ष 24
89.	ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	राजस्थान में आईएसटीएस ट्रांसमिशन लाइन	वित्त वर्ष 24
90.	एनस्योर रिलायबल पावर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	कर्नाटक के मलूर में 1 गीगावाट घंटा लिथियम आयन सेल विनिर्माण सुविधा	वित्त वर्ष 25
गैर-विद्युत अवसंरचना परियोजनाएं			
91.	जीएमआर विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीवीआईएएल)	आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के फेज-I के विकास और निर्माण का आंशिक वित्तपोषण	वित्त वर्ष 23
92.	त्रिवेनी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	पकरी बरवाडीह पश्चिम कोल ब्लॉक से एनटीपीसी लिमिटेड को माईनिंग डेवलपर और ऑपरेटर (एमडीओ) के रूप में कोयले का खनन और वितरण	वित्त वर्ष 23
93.	एवे ट्रांस (बीएलआर) प्राइवेट लिमिटेड	कर्नाटक में 50 ई-बसों का वित्तपोषण	वित्त वर्ष 23
94.	एक्सईएमएक्स प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एक्सपीपीएल)	महाराष्ट्र राज्य में एक्सईएमएक्स प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के 3 संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र, जिनकी कुल क्षमता 15 टीपीडी है।	वित्त वर्ष 23
95.	एवे ट्रांस	मुंबई में 2100 ई-बसों का वित्तपोषण	वित्त वर्ष 23
96.	एवे ट्रांस (एमएचएस) प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र में 100 ई-बसों का वित्तपोषण	वित्त वर्ष 23
97.	केएसआरपीएल	महाराष्ट्र राज्य में एनएच-48 (पुराना एनएच-4) पैकेज-II के कागल सतारा खंड को 658.000 किमी से 725.000 किमी तक छह लेन का बनाया जाना	वित्त वर्ष 23
98.	जेएसओएल	ओडिशा के अंगुल में 6 एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयंत्र	वित्त वर्ष 23
99.	एमईआईएल हनमकोंडा रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड	एचएएम (पैकेज-I) पर हनमकोंडा जिले के अरागोंडा गांव से वारंगल जिले के वेंकटपुर गांव तक एनएच-163 जी पर 4-लेन जीएफएच खंड के निर्माण का वित्तपोषण	वित्त वर्ष 23
100.	एमईआईएल रेमिडिचेरला रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड	एनएच-163 जी पर ब्राह्मणपल्ली गांव से रेमिडिचेरला गांव तक एचएएम पर 4-लेन जीएफएच खंड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (पैकेज-II)	वित्त वर्ष 23
101.	एमईआईएल जक्कमपुडी रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड	एनएच-163जी (वारंगल-खम्मम) पर रेमिडिचेरला गांव से जक्कमपुडी गांव (एनएच-16 पर) तक 4-लेन जीएफएच के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता एचएएम (पैकेज-III)	वित्त वर्ष 23
102.	विश्वम सिटी बस ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड	राजकोट, गुजरात में 100 ई-बसों का वित्तपोषण	वित्त वर्ष 24
103.	गोपीनाथपुर	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के लिए खान डेवलपर और ऑपरेटर (एमडीओ) के रूप में गोपीनाथपुर कोयला ब्लॉक से कोयले का खनन	वित्त वर्ष 24
104.	एवे ट्रांस (एमएसआर) प्राइवेट लिमिटेड (ईटीएमपीएल)	महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) द्वारा 5150 ई-बसों के लिए संविदा दिया गया	वित्त वर्ष 24
105.	एवे ट्रांस (टीईएल) प्राइवेट लिमिटेड	हैदराबाद में 500 ई-बसों के लिए टीएसआरटीसी द्वारा वित्तपोषण किया गया	वित्त वर्ष 24
106.	मुंद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड	मुंद्रा में 1एमएमटीपीए पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) संयंत्र की स्थापना	वित्त वर्ष 25

निजी संस्थाओं की सूची जिन्हें आरईसी लिमिटेड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पुनर्वित्तपोषण किया है

क्र.सं.	उधारकर्ता	परियोजना का विवरण	संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)	संवितरित राशि (करोड़ रुपये में)
1	त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	एनटीपीसी लिमिटेड को माईन डेवलपर एंड ऑपरेटर (एमडीओ) के रूप में पकरी बरवाडीह पश्चिम कोयला ब्लॉक से कोयले का खनन और वितरण	336	180.09
2	कनक रिन्यूएबल्स लिमिटेड	कुश्तागी और एसआरईआई रिन्यू में 110.40 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना का पुनर्वित्तपोषण	463.27	458.64
3	रजत रिन्यूएबल्स लिमिटेड63	कुष्टगी कर्नाटक में 21 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना का पुनर्वित्तपोषण	113.71	112.57
4	रीन्यू सौर ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड	इटिगी और रायचूर में 100 मेगावाट सौर पीवी परियोजना का पुनर्वित्तपोषण	532.8	520.4
5	रीन्यू विंड एनर्जी (बुध 3) प्राइवेट लिमिटेड	वाडगेरा, निरना और लाधा कर्नाटक में 60 मेगावाट सौर पीवी परियोजना का पुनर्वित्तपोषण	326.71	322.63
6	रीन्यू क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	एमपी सोलर मध्य प्रदेश में 51 मेगावाट सौर पीवी परियोजना का पुनर्वित्तपोषण	266.49	261.16
7	रीन्यू विंड एनर्जी (देवगढ़) प्राइवेट लिमिटेड	वासपेट 4 महाराष्ट्र में 49.5 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना का पुनर्वित्तपोषण	256.94	251.8
8	रीन्यू विंड एनर्जी (राजस्थान 3) प्राइवेट लिमिटेड	भेसदा राजस्थान में 100.80 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना का पुनर्वित्तपोषण	620.22	613.09
9	रीन्यू सोलर एनर्जी (तेलंगाना) प्राइवेट लिमिटेड	डिगिपल्ली तेलंगाना में 143 मेगावाट सौर पीवी परियोजना का पुनर्वित्तपोषण	899.86	889.96
10	ब्लूपाइन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	11 चालू परियोजनाओं 355 मेगावाट एसी/403 मेगावाट पी का पुनर्वित्तपोषण	1540.82	शून्य
11	एज्योर	विभिन्न स्थानों पर 615 मेगावाट सौर परियोजना के 7 एसपीवी का पुनर्वित्तपोषण	2500	2370

तमिलनाडु में पंजीकृत निजी लिमिटेड कंपनियों की सूची, जिन्हें आरईसी लिमिटेड ने ऋण प्रदान किया है

क्र.सं.	उधारकर्ता	परियोजना का विवरण
1	जेमिनी जियोस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु में 1 मेगावाट एसपीवी
2	मेसर्स शालिवाहन विंड एनर्जी लिमिटेड	जिला तिरुपुर, तमिलनाडु में 6.8 मेगावाट पवन परियोजना
3	मेसर्स एसईपीसी पावर प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीसीपीएल)	1X525 मेगावाट कोयला आधारित तापविद्युत संयंत्र
4	मेसर्स ऑरा पावर प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु में 5 मेगावाट सौर पीवी परियोजना
5	मेसर्स पलवई ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड	कुरुंडमडम, विरुंडानगर जिला, तमिलनाडु में 5 मेगावाट सौर परियोजना
6	मेसर्स मैत्रा वायु (साबरमती) प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु के थूकुडी जिले के मनियाची में 252 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना।
7	सॉलिटैयर बीटीएन सोलर प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में 100 मेगावाट सौर पीवी परियोजना
8	स्प्रंग रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु के तिरपुर जिले में 300 मेगावाट पवन परियोजना
9	विविड सोलेयर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 252 मेगावाट पवन परियोजना
10	जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी लिमिटेड	तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 540 मेगावाट पवन परियोजना
11	जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी लिमिटेड	तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 270 मेगावाट पवन परियोजना
12	जेएसपी ग्रीन विंड 1 प्राइवेट लिमिटेड	1400 मेगावाट जेजीडब्ल्यू1पीएल पवन

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5362

दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

केरल में सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत घर

5362. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों की कुल संख्या कितनी है और उक्त योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा प्रणालियों के संस्थापन के माध्यम से कितने प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) सौर ऊर्जा प्रणालियों की संस्थापना के माध्यम से केरल राज्य में सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत किए गए घरों की जिलावार संख्या कितनी है; और

(ग) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सौभाग्य योजना के अंतर्गत राज्य में आबंटित/जारी की गई और उपयोग की गई निधि का वर्षवार और जिलावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की थी, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करना है। सौभाग्य के अंतर्गत संस्वीकृत सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं और स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गई है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया, जिनमें से 4,70,415 घरों, अर्थात् कुल घरों के 1.64%, सौर ऊर्जा प्रणालियों की संस्थापना के माध्यम से विद्युतीकृत किए गए।

केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) की रिपोर्ट के अनुसार, केरल राज्य में ऐसा कोई भी घर नहीं था, जिसे सौभाग्य के तहत सौर ऊर्जा प्रणाली की संस्थापना के माध्यम से विद्युतीकृत किया गया हो।

(ग) : सौभाग्य स्कीम के तहत डिस्कॉम स्तर पर निधि संस्वीकृत की गई और तदनुसार उन्हें निधि जारी की गई। पिछले पांच वर्षों में और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान सौभाग्य के तहत केरल राज्य में जारी और उपयोग की गई निधि का विवरण इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ में)

वित्त वर्ष	केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया अनुदान	केंद्रीय सरकार द्वारा व्यय किया गया अनुदान
2019-20	26.12	26.12
2020-21	13.27	13.27
2021-22	11.75	11.75
2022-23	-	-
2023-24	-	-
2024-25	-	-

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5391

दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

एनटीपीसी के ताप विद्युत संयंत्रों की संपरीक्षा

5391. श्री राहुल गांधी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एनटीपीसी के 25 वर्ष से अधिक पुराने ताप विद्युत संयंत्रों की कोई संपरीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने रायबरेली में एनटीपीसी के फिरोज गांधी ऊंचाहार विद्युत स्टेशन के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा रायबरेली में फिरोज गांधी ऊंचाहार विद्युत स्टेशन में परिचालन दक्षता में सुधार के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऊंचाहार विद्युत स्टेशन में 2017 में हुए बॉयलर विस्फोट के पश्चात् सुरक्षा और संस्थागत जवाबदेही में सुधार के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के दिनांक 22.12.2020 के आदेश के अनुपालन में, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा एक सुरक्षा लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया था, जिसमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोयला मंत्रालय, केंद्रीय बॉयलर बोर्ड (सीबीबी), महानिदेशक अग्नि सुरक्षा (डीजीएफएस), तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), एनटीपीसी लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल) के प्रतिनिधि शामिल थे।

समिति ने दिनांक 24.11.2021 से दिनांक 25.11.2021 तक पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एनटीपीसी लिमिटेड के फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन का भौतिक ऑडिट किया था और ताप विद्युत संयंत्रों में सुरक्षा चिंताओं पर अपनी सिफारिशें दी थीं। सुरक्षा लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों को एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा अपने स्टेशनों के बीच साझा किया गया तथा सिफारिशों का अनुपालन किया जा रहा है।

(ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, देश में विद्युत संयंत्र की स्थापना एक गैर-लाइसेंस गतिविधि है। कोई भी उत्पादन कंपनी विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत लाइसेंस की आवश्यकता के बिना उत्पादन स्टेशन की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव कर सकती है, बशर्ते कि वह ग्रिड से कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती हो। ताप विद्युत यूनिट में नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएंडएम) कार्य करने का निर्णय विद्युत उत्पादन यूटिलिटी/उपभोक्ताओं द्वारा तकनीकी-आर्थिक एवं पर्यावरणीय कारणों के आधार पर स्वयं लिया जाता है।

फिरोज गांधी ऊंचाहार पावर स्टेशन पर एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा निष्पादित प्रमुख उन्नयन/प्रतिस्थापन कार्य का विवरण निम्नानुसार है:-

1. लो-प्रेसर हीटर, उच्च दाब बाय पास प्रणाली के कुछ भागों, डीसी चार्ज, कोयला हैंडलिंग संयंत्र एचपी ट्रेवलिंग ट्रिपर्स, टरबाइन से संबंधित वाल्व, बॉयलर फीड पंप, कंडेनसेट निष्कर्षण पंप, यूनिट # 1 कंडेनसर के कंडेनसर ट्यूब, बॉटम ऐश हॉपर के स्क्रेपर कन्वेयर का प्रतिस्थापन।
2. नियंत्रण एवं विद्युत केबलों और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स (ईएसपी) का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएंडएम), कूलिंग टॉवर का नवीनीकरण, क्रिटिकल पाइपिंग और हैंगरों का अवशिष्ट कार्यकाल मूल्यांकन अध्ययन, खुले चैनल ऐश जल प्रवाह का बंद पाइप कॉरिडोर प्रवाह में रूपांतरण, अग्निशमन प्रणाली का नवीनीकरण।

(ग) : एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा रायबरेली स्थित फिरोज गांधी ऊंचाहार विद्युत स्टेशन की प्रचालन दक्षता में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं:-

- 1) डिजाइन कार्यनिष्पादन के संबंध में किसी भी विचलन के लिए यूनिट मापदंडों की ऑफलाइन/ऑनलाइन निगरानी की जा रही है।
- 2) बॉयलर, टीजी और अन्य प्रणालियों से संबंधित महत्वपूर्ण उपकरणों का निवारक रखरखाव।
- 3) यूनिट कार्यनिष्पादन मापदंडों की बेंचमार्किंग।
- 4) यूनिट की ओवरहालिंग नियमित रूप से की जा रही है और ओवरहालिंग के दौरान, बॉयलर, टीजी (टर्बाइन-जनरेटर) और बीओपी (संयंत्रों का संतुलन) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रणालियों और उपकरणों का निरीक्षण, मरम्मत और आवश्यकतानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

(घ) : सरकार ने सुरक्षा और संस्थागत जवाबदेही में सुधार के लिए ऊंचाहार पावर स्टेशन में बॉयलर विस्फोट के कारण की जांच की। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए छह (06) जांच समितियां गठित की गईं। इन समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अन्य कारणों के साथ-साथ बॉयलर में अत्यधिक ऐश के जमाव तथा इसके कारण ट्यूब फेल होने को बॉयलर में दुर्घटना के कारणों में से एक बताया गया है। इन समितियों की मुख्य सिफारिशें/निष्कर्ष तथा उन पर की गई कार्रवाई नीचे दी गई है:

समितियों की सिफारिशें:

1. ऐश के संचय को नियंत्रित किया जाना चाहिए, तथा भट्ठी के निचले द्वार और ऐश हॉपर को अवरुद्ध किए बिना निरंतर ऐश हटाने को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2. संयंत्र प्रचालन स्थितियों के सभी तकनीकी विचार मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का हिस्सा होने चाहिए।
3. संयंत्र अभियंताओं और प्रचालन सामान्य टीम के पास कर्तव्यों के अनुसार पर्याप्त और प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए।
4. प्रचालन के दौरान मैनहोल के दरवाज़े/स्कैफ़ोल्ड के दरवाज़े खोलने का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए और विस्थापित करने के लिए पानी के इंजेक्शन से बचना चाहिए।
5. जब भी लोग बॉयलर प्रचालन के दौरान किसी समस्या का समाधान करते हैं, तो सुरक्षित व्यवहार के लिए एक स्पष्ट चेकलिस्ट होनी चाहिए।
6. यूनिट में किसी भी गतिविधि को करने के लिए वर्क परमिट के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा की गई कार्रवाई:-

- प्रचालन मार्गदर्शन नोट की समीक्षा सुरक्षा के अतिरिक्त बिन्दुओं के साथ की गई तथा सभी एनटीपीसी स्टेशनों द्वारा इसका अनुपालन किया गया।
- एनटीपीसी के कार्यकारी प्रशिक्षुओं को प्रवेश स्तर पर 12 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें विद्युत संयंत्र के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सौंपे गए कर्तव्यों के संबंध में सभी स्टेशनों पर नियमित प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं।
- कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए प्रत्येक वर्ष एनईबीओएसएच-आईजीसी और एनओएसए जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- सभी कार्यस्थलों पर संविदाकारों के कर्मचारियों के लिए नियमित आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सभी प्रासंगिक विषयों को शामिल किया गया है।
- कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) में सुरक्षा व्यवहार सूचकांक की शुरुआत की गई है।
- संस्थागत जवाबदेही के तत्वों को आंतरिक रूप से मजबूत करने के लिए, एनटीपीसी सुरक्षा रूपरेखा को वर्ष 2021 में शुरू किया गया था, जिसे एनटीपीसी एसएपी प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है। रूपरेखा एक सुसंगत वैचारिक संरचना प्रदान करती है और विभिन्न कार्यों और भूमिकाओं के लिए मार्गदर्शन दस्तावेज़ के रूप में कार्य करती है। इसमें अपेक्षाओं का एक सेट शामिल है जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रयास एनटीपीसी की समग्र नीति और उद्देश्यों के साथ संरेखित हों। अपेक्षाओं को मोटे तौर पर घटकों के रूप में व्यक्त किया जाता है - सुरक्षा नीति, सुरक्षा जोखिम प्रबंधन, सुरक्षा आश्वासन और सुरक्षा संवर्धन।

- सभी परियोजनाओं/स्टेशनों पर प्रचालन संयंत्रों और निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए क्रॉस-फंक्शनल सुरक्षा टास्क फोर्स कार्यरत हैं, जो सुरक्षित कार्य स्थितियों की निगरानी और सुनिश्चित करते हैं।
- ऐश के जमाव का शीघ्र पता लगाने के लिए डेस्क ऑपरेटर द्वारा निगरानी के लिए कैमरे लगाए गए हैं।
- एनटीपीसी द्वारा अपने सुरक्षा अधिकारियों के माध्यम से नियमित अंतराल पर आंतरिक और बाह्य सुरक्षा ऑडिट तथा समय-समय पर प्रतिष्ठित एजेंसियों के माध्यम से बाह्य (तृतीय पक्ष) सुरक्षा ऑडिट कराया जाता है।
- नौकरी सुरक्षा विश्लेषण को कार्य परमिट प्रणाली का एक हिस्सा बनाया गया है, और स्टेशन इसका सख्ती से पालन कर रहे हैं।
- साइट पर आपात स्थितियों का शीघ्र पता लगाने और उन्हें कम करने के लिए सभी प्रचालन स्टेशनों पर प्रभावी नियंत्रण प्रणालियां उपलब्ध कराई गई हैं।
- प्रणालियों की दक्षता की जांच के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है, तथा किसी भी असामान्यता को तुरंत ठीक कर दिया जाता है।
- आपदा प्रबंधन योजना पर जागरूकता कार्यक्रम भी नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।
- सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, कार्यस्थलों के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर पोस्टर/होर्डिंग के रूप में विभिन्न संदेश/निर्देश प्रदर्शित किए जाते हैं। कर्मचारियों, संविदाकारों के श्रमिकों और आस-पास के ग्रामीणों में सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए समय-समय पर सुरक्षा पर विभिन्न प्रतियोगिताएं और अभियान भी आयोजित किए जाते हैं।
- कार्यस्थल पर काम करने वाले कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी के लिए नियमित चिकित्सा जांच की जाती है। कार्यस्थल पर काम करने वाले कर्मचारियों को खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण और उत्साहवर्धक चर्चाएँ भी आयोजित की जाती हैं।
- किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला एवं राज्य प्राधिकरणों तथा निकटवर्ती उद्योगों के परामर्श से आपदा प्रबंधन योजना और आपातकालीन कार्य योजना तैयार की जाती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5402
दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

ऊर्जा उत्पादन की मात्रा

5402. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संपूर्ण देश में विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उत्पादित ऊर्जा की कुल मात्रा क्या है;

(ख) क्या यह उत्पादन मांग के अनुपात में है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) संपूर्ण देश में उक्त अवधि के दौरान ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा के कुल संवितरण का ब्यौरा क्या है;

(घ) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन तथा खपत में सबसे कम भाग वाले क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) अन्य देशों को नवीकरणीय तथा गैर-नवीकरणीय ऊर्जा दोनों के संदर्भ में किए गए निर्यात के कुल मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(च) निर्यात तथा निर्यात आय के भाग का विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार का व्यापार में सुगमता के लिए उन मानकों को युक्तिसंगत बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) के दौरान देश भर में उत्पादित ऊर्जा की कुल मात्रा का स्रोत-वार विवरण **अनुबंध-1** पर है।

(ख) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 470 गीगावाट है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से 238 गीगावाट उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी से विद्युत पर्याप्तता की ओर अग्रसर हो गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014 से अब तक 2,01,088 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनों, 7,78,017 एमवीए परिवर्तन क्षमता और 82,790 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता की वृद्धि की गई है, जिससे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,18,740 मेगावाट अंतरित करने की क्षमता प्राप्त हुई है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) के दौरान देश में अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति का विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है। इससे पता चलता है कि ऊर्जा आवश्यकता और ऊर्जा आपूर्ति के बीच का अंतर वर्तमान वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) के दौरान केवल 0.1% के मामूली स्तर तक कम हो गया है। ऊर्जा आवश्यकता और ऊर्जा आपूर्ति के बीच यह मामूली अंतर भी आम तौर पर राज्य पारेषण/वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण है।

(ग) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (फरवरी, 2025 तक) के दौरान ऊर्जा आपूर्ति के आंकड़ों में दर्शाए गए अनुसार देश भर में उत्पादित विद्युत ऊर्जा के कुल वितरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-III** पर है।

(घ) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (फरवरी, 2025 तक) के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-IV** पर है।

(ङ) से (छ) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (फरवरी, 2025 तक) के दौरान भारत द्वारा पड़ोसी देशों को विद्युत के निर्यात का विवरण **अनुबंध-V** पर है।

विद्युत का आयात/निर्यात क्रय और विक्रय संस्थाओं द्वारा पूर्णतः वाणिज्यिक आधार पर किया जाता है, इसलिए अन्य देशों को कुल निर्यात के मूल्य और आय के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) के दौरान देश भर में उत्पादित ऊर्जा की कुल मात्रा का स्रोत-वार विवरण:

सभी आंकड़े मिलियन यूनिट (एमयू) में हैं

ईंधन		वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक)
थर्मल	कोयला	10,41,487	11,45,908	12,60,903	11,80,981
	डीजल/एचएसडी	117	230	401	401
	लिग्नाइट	37,094	36,188	33,950	30,177
	बहु ईंधन	0	0	0	0
	नेप्था	0	1	0	0
	प्राकृतिक गैस	36,016	23,884	31,296	29,702
कुल थर्मल :		11,14,714	12,06,211	13,26,549	12,41,261
न्यूक्लियर		47,112	45,861	47,937	51,962
हाइड्रो		1,51,627	1,62,099	1,34,054	1,39,780
भूटान आयात		7,493	6,742	4,716	5369
कुल पारंपरिक :		13,20,947	14,20,913	15,13,256	14,38,372
नवीकरणीय	पवन	68,640	71,814	83,385	78,214
	सौर	73,484	1,02,014	1,15,975	1,27,339
	बायोमास	3,483	3,161	3,417	3,392
	खोई	12,574	12,863	10,826	8,349
	लघु हाइड्रो	10,464	11,171	9,485	10,951
	अन्य	2,268	2,529	2,747	2,621
कुल नवीकरणीय (पारंपरिक हाइड्रो को छोड़कर) :		1,70,912	2,03,553	2,25,835	2,30,868
कुल योग :		14,91,859	16,24,466	17,39,091	16,69,240

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) के दौरान देश में अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति का विवरण

वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	%
2021-22	13,79,812	13,74,024	5,787	0.4
2022-23	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5
2023-24	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3
2024-25* (फरवरी, 2025 तक)	15,47,785	15,46,229	1,555	0.1

नोट: (*) फरवरी, 2025 के लिए अनंतिम

वर्ष 2021-22 से वर्ष 2022-23 के दौरान ऊर्जा आपूर्ति के आंकड़ों में दर्शाए अनुसार देश भर में उत्पादित विद्युत ऊर्जा के कुल वितरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्र	अप्रैल, 2021 - मार्च, 2022				अप्रैल, 2022 - मार्च, 2023			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,606	1,606	0	0.0	1,788	1,788	0	0.0
दिल्ली	31,128	31,122	6	0.0	35,143	35,133	10	0.0
हरियाणा	55,499	55,209	290	0.5	61,451	60,945	506	0.8
हिमाचल प्रदेश	12,115	12,088	27	0.2	12,649	12,542	107	0.8
जम्मू एवं कश्मीर	19,957	18,434	1,524	7.6	19,639	19,322	317	1.6
पंजाब	62,846	62,411	436	0.7	69,522	69,220	302	0.4
राजस्थान	89,814	89,310	504	0.6	1,01,801	1,00,057	1,745	1.7
उत्तर प्रदेश	1,29,448	1,28,310	1,138	0.9	1,44,251	1,43,050	1,201	0.8
उत्तराखंड	15,521	15,426	94	0.6	15,647	15,386	261	1.7
उत्तरी क्षेत्र	4,17,934	4,13,915	4,019	1.0	4,63,088	4,58,640	4,449	1.0
छत्तीसगढ़	31,908	31,872	35	0.1	37,446	37,374	72	0.2
गुजरात	1,23,953	1,23,666	287	0.2	1,39,043	1,38,999	44	0.0
मध्य प्रदेश	86,501	86,455	46	0.1	92,683	92,325	358	0.4
महाराष्ट्र	1,72,823	1,72,809	14	0.0	1,87,309	1,87,197	111	0.1
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	9,433	9,433	0	0.0	10,018	10,018	0	0.0
गोवा	4,448	4,448	0	0.0	4,669	4,669	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	4,29,065	4,28,683	383	0.1	4,77,393	4,76,808	586	0.1
आंध्र प्रदेश	68,413	68,219	194	0.3	72,302	71,893	410	0.6
तेलंगाना	70,539	70,523	16	0.0	77,832	77,799	34	0.0
कर्नाटक	72,437	72,417	20	0.0	75,688	75,663	26	0.0
केरल	26,579	26,570	9	0.0	27,747	27,726	21	0.1
तमिलनाडु	1,09,816	1,09,798	18	0.0	1,14,798	1,14,722	77	0.1
पुदुचेरी	2,894	2,893	1	0.0	3,051	3,050	1	0.0
लक्षद्वीप(#)	56	56	0	0.0	64	64	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	3,50,678	3,50,421	258	0.1	3,71,467	3,70,900	567	0.2

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्र	अप्रैल, 2021 - मार्च, 2022				अप्रैल, 2022 - मार्च, 2023			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
बिहार	36,216	35,761	455	1.3	39,545	38,762	783	2.0
डीवीसी	23,741	23,736	4	0.0	26,339	26,330	9	0.0
झारखंड	11,148	10,590	558	5.0	13,278	12,288	990	7.5
ओडिशा	38,339	38,332	7	0.0	42,631	42,584	47	0.1
पश्चिम बंगाल	54,001	53,945	57	0.1	60,348	60,274	74	0.1
सिक्किम	610	609	0	0.0	587	587	0	0.0
अंडमान-निकोबार (#)	335	327	8	2.3	348	348	0	0.1
पूर्वी क्षेत्र	1,64,054	1,62,973	1,081	0.7	1,82,791	1,80,888	1,903	1.0
अरुणाचल प्रदेश	875	874	1	0.1	915	892	24	2.6
असम	10,844	10,825	19	0.2	11,465	11,465	0	0.0
मणिपुर	1,019	1,018	1	0.1	1,014	1,014	0	0.0
मेघालय	2,256	2,243	13	0.6	2,237	2,237	0	0.0
मिजोरम	656	644	12	1.8	645	645	0	0.0
नागालैंड	852	851	1	0.1	926	873	54	5.8
त्रिपुरा	1,578	1,578	0	0.0	1,547	1,547	0	0.0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	18,079	18,033	47	0.3	18,758	18,680	78	0.4
अखिल भारत	13,79,812	13,74,024	5,787	0.4	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5

(#)लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्र प्रणालियां हैं, इनमें विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और ऊर्जा आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।

वर्ष 2023-24 से वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) के दौरान ऊर्जा आपूर्ति के आंकड़ों में दर्शाए अनुसार देश भर में उत्पादित विद्युत ऊर्जा के कुल वितरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्र	अप्रैल, 2023 - मार्च, 2024				अप्रैल, 2024 - फरवरी, 2025*			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,789	1,789	0	0.0	1,843	1,843	0	0.0
दिल्ली	35,501	35,496	5	0.0	35,935	35,924	12	0.0
हरियाणा	63,983	63,636	348	0.5	65,605	65,575	30	0.0
हिमाचल प्रदेश	12,805	12,767	38	0.3	12,495	12,458	37	0.3
जम्मू एवं कश्मीर	20,040	19,763	277	1.4	18,526	18,439	87	0.5
पंजाब	69,533	69,528	5	0.0	72,623	72,623	0	0.0
राजस्थान	1,07,422	1,06,806	616	0.6	1,04,549	1,04,245	304	0.3
उत्तर प्रदेश	1,48,791	1,48,287	504	0.3	1,53,505	1,53,203	302	0.2
उत्तराखंड	15,644	15,532	112	0.7	15,563	15,521	42	0.3
उत्तरी क्षेत्र	4,76,852	4,74,946	1,906	0.4	4,82,076	4,81,133	943	0.2
छत्तीसगढ़	39,930	39,872	58	0.1	38,757	38,729	28	0.1
गुजरात	1,45,768	1,45,740	28	0.0	1,38,514	1,38,514	0	0.0
मध्य प्रदेश	99,301	99,150	151	0.2	95,286	95,162	124	0.1
महाराष्ट्र	2,07,108	2,06,931	176	0.1	1,83,137	1,83,078	59	0.0
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	10,164	10,164	0	0.0	9,925	9,925	0	0.0
गोवा	5,111	5,111	0	0.0	4,904	4,904	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	5,17,714	5,17,301	413	0.1	4,80,698	4,80,488	210	0.0
आंध्र प्रदेश	80,209	80,151	57	0.1	71,471	71,468	3	0.0
तेलंगाना	84,623	84,613	9	0.0	78,531	78,527	4	0.0
कर्नाटक	94,088	93,934	154	0.2	82,127	82,123	4	0.0
केरल	30,943	30,938	5	0.0	28,597	28,588	8	0.0
तमिलनाडु	1,26,163	1,26,151	12	0.0	1,18,313	1,18,308	5	0.0
पुदुचेरी	3,456	3,455	1	0.0	3,244	3,244	0	0.0
लक्षद्वीप (#)	64	64	0	0.0	61	61	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	4,19,531	4,19,293	238	0.1	3,82,325	3,82,300	24	0.0

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्र	अप्रैल, 2023 - मार्च, 2024				अप्रैल, 2024 - फरवरी, 2025*			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा	
बिहार	41,514	40,918	596	1.4	41,259	41,085	174	0.4
डीवीसी	26,560	26,552	8	0.0	23,708	23,704	3	0.0
झारखंड	14,408	13,858	550	3.8	13,941	13,865	76	0.5
ओडिशा	41,358	41,333	25	0.1	39,132	39,108	24	0.1
पश्चिम बंगाल	67,576	67,490	86	0.1	65,075	64,984	91	0.1
सिक्किम	544	543	0	0.0	516	516	0	0.0
अंडमान-निकोबार (#)	386	374	12	3.2	386	375	11	2.9
पूर्वी क्षेत्र	1,92,013	1,90,747	1,266	0.7	1,83,681	1,83,314	367	0.2
अरुणाचल प्रदेश	1,014	1,014	0	0.0	956	956	0	0.0
असम	12,445	12,341	104	0.8	11,897	11,891	6	0.0
मणिपुर	1,023	1,008	15	1.5	978	974	5	0.5
मेघालय	2,236	2,066	170	7.6	1,874	1,873	0	0.0
मिजोरम	684	684	0	0.0	647	647	0	0.0
नागालैंड	921	921	0	0.0	865	865	0	0.0
त्रिपुरा	1,691	1,691	0	0.0	1,779	1,779	0	0.0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	20,022	19,733	289	1.4	19,004	18,993	11	0.1
अखिल भारत	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3	15,47,785	15,46,229	1,555	0.1

नोट: (*) फरवरी, 2025 माह के आंकड़े अनंतिम हैं

(#) लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्र प्रणालियां हैं, इनमें विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और ऊर्जा आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (फरवरी, 2025 तक) के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

सभी आंकड़े मिलियन यूनिट (एमयू) में हैं

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	34.77	37.88	39.50	35.63
आंध्र प्रदेश	15,662.61	16,411.91	17,464.48	14,605.40
अरुणाचल प्रदेश	2.13	24.85	2.55	1.67
असम	122.10	279.01	381.26	479.36
भूटान	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	239.83	288.85	342.08	394.90
चंडीगढ़	14.19	12.61	11.70	8.39
छत्तीसगढ़	1,938.21	2,003.05	2,477.44	2,919.23
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	96.83	30.62	28.86	25.95
दिल्ली	458.73	530.20	728.81	688.36
गोवा	16.82	19.96	67.95	59.81
गुजरात	24,839.53	29,762.63	38,483.22	40,483.05
हरियाणा	1,135.42	1,419.73	1,651.50	2,042.87
हिमाचल प्रदेश	2,043.76	2,912.83	2,586.52	3,035.72
जम्मू और कश्मीर	415.81	393.20	408.69	372.17
झारखंड	28.71	22.10	23.16	21.06
कर्नाटक	28,634.28	29,574.48	30,526.55	31,457.53
केरल	1,614.62	1,946.26	2,204.24	2,497.10
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0.30	0.10	0.09	0.08
मध्य प्रदेश	8,716.73	8,872.72	9,655.02	11,183.44
महाराष्ट्र	15,845.64	17,206.59	18,765.41	17,970.04
मणिपुर	6.72	8.79	8.96	7.94
मेघालय	44.68	72.16	66.55	112.88
मिजोरम	28.09	62.27	99.11	71.85
नागालैंड	63.47	111.95	81.14	96.96
ओडिशा	1,081.10	1,192.10	1,261.72	1,192.68
पुदुचेरी	12.24	12.24	12.24	11.22
पंजाब	3,242.15	4,169.58	4,122.40	2,849.22
राजस्थान	24,099.31	40,990.05	47,148.96	50,322.11
सिक्किम	12.35	12.35	12.35	11.33
तमिलनाडु	24,061.28	27,626.45	29,603.31	31,659.49
तेलंगाना	7,345.89	7,429.89	7,509.10	6,871.44
त्रिपुरा	7.62	6.58	7.01	5.36
उत्तर प्रदेश	6,328.94	7,217.18	7,201.59	6,739.04
उत्तराखंड	872.32	932.39	930.94	855.91
पश्चिम बंगाल	1,845.09	1,959.12	1,920.39	1,778.72
कुल योग :	1,70,912.29	2,03,552.68	2,25,834.83	2,30,867.92

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (फरवरी, 2025 तक) के दौरान भारत द्वारा पड़ोसी देशों को विद्युत के निर्यात का विवरण:

सभी आंकड़े मिलियन यूनिट (एमयू) में हैं

वर्ष	भूटान	बांग्लादेश	नेपाल	म्यांमार
2021-22	322	7,327	2,127	8.81
2022-23	522	8,581	1,552	9.8
2023-24	1,868	8,394	1,850	8.78
2024-25 (फरवरी, 2025 तक)	1,492	7,355	1,355	8.43

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5406

दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

कर्नाटक में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन

5406. श्री पी. सी. मोहन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कर्नाटक सहित राज्य-वार कोयला, प्राकृतिक गैस, पनबिजली, सौर, पवन आदि ऊर्जा स्रोतों को विनिर्दिष्ट करते हुए कुल विद्युत/बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन स्रोतों से विद्युत उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कर्नाटक सहित प्रत्येक राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रस्तावित योजनाएं और पहल क्या हैं और विशिष्ट लक्ष्य और समय-सीमा क्या है; और

(घ) नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में कर्नाटक सहित राज्यों को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कौन-कौन सी रणनीतियां कार्यान्वयित की जा रही हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : कर्नाटक सहित देश में विद्युत उत्पादन क्षमता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और स्रोत-वार विवरण (दिनांक 28.02.2025 तक) अनुबंध-I और अनुबंध-II पर है।

(ख) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (फरवरी, 2025 तक) के दौरान विभिन्न स्रोतों से उत्पादित विद्युत का विवरण अनुबंध-III पर है।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म आधारित संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। दिनांक 28.02.2025 तक, देश में कुल 2,14,680 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संस्थापित की गई है, जिसमें कर्नाटक में 23,074.89 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता शामिल है।

इसके अतिरिक्त, 84,310 मेगावाट सौर, 28,280 मेगावाट पवन, 40,890 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत और 21,970 मेगावाट बड़ी जलविद्युत सहित 1,75,890 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता निर्माणाधीन है। 46,670 मेगावाट

सौर, 600 मेगावाट पवन और 22,940 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 70,210 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता योजना के विभिन्न चरणों में है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

भारत सरकार ने कर्नाटक सहित देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 50 गीगावाट/वर्ष की आरई विद्युत क्रय बोलियां जारी करने के लिए बोली ट्रेजेक्टरी जारी की है।
- (ii) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- (iii) दिसंबर 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए और दिसंबर 2032 तक अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिनांक 30 जून, 2025 तक शुरू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभार माफ कर दिया गया है।
- (iv) नवीकरणीय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) ट्रेजेक्टरी को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ का अनुपालन न करने पर शास्ति लगाई जाएगी।
- (v) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और फर्म एवं डिस्पैचेबल आरई (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- (vi) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल फंडिंग (वीजीएफ) स्कीम जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं।
- (vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना की स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।
- (viii) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नए सब-स्टेशन क्षमता के निर्माण के लिए धन मुहैया कराया गया है।
- (ix) "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए कार्यनीति" जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की बोली प्रक्रिया और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यवसाय मॉडल का संकेत दिया गया है।

- (x) अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे के अनुदान को विनियमित करने के लिए विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसंबर, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को अधिसूचित किया गया है।
- (xi) सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को लागू कर रही है। इससे उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगा वाट (जीडब्ल्यू) पैमाने की विनिर्माण क्षमता सक्षम होगी।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) संसाधनों के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं ताकि विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके:

- (i) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण नेटवर्क के विकास की योजना बनाई जा रही है। एंकरिंग वोल्टेज स्थिरता, कोणीय स्थिरता, हानि न्यूनीकरण आदि के संदर्भ में बेहतर विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अंतर-राज्यीय नेटवर्क के साथ आईएसटीएस नवीकरणीय ऊर्जा स्कीमों का मजबूत इंटरकनेक्शन बनाया जा रहा है।
- (ii) ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत राज्यों को उनके राज्य के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण हेतु पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जा रही है।
- (iii) पारेषण सुविधाओं के बेहतर उपयोग के लिए भंडारण सुविधाओं के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
- (iv) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की परिवर्तनशीलता को समाधान करने के लिए तापीय उत्पादन में अनुकूलन अनिवार्य है।
- (v) सीईए (ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम, ग्रिड के सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के लिए न्यूनतम तकनीकी आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। राष्ट्रीय ग्रिड से कनेक्टिविटी/इंटरकनेक्शन देने से पहले नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उक्त विनियमों के अनुपालन का सत्यापन केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयूआईएल) और ग्रिड-इंडिया/आरएलडीसी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। किसी भी नए संयंत्र को ग्रिड से जोड़ने से पहले अनुपालन का पुख्ता सत्यापन किया जाता है।
- (vi) भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को आकस्मिकताओं के मामले में प्राथमिक और द्वितीयक आवृत्ति नियंत्रण में भाग लेना अनिवार्य है। हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों जैसे कि बीईएसएस (बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली) और पीएसपी (पंप भंडारण परियोजना) को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनशीलता को कम करने और ग्रिड को पर्याप्त आवृत्ति सहायता प्रदान करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है।
- (vii) सौर और पवन संयंत्रों की निगरानी, पूर्वानुमान और समय-निर्धारण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों और क्षेत्रों में 13 समर्पित नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केन्द्रों (आरईएमसी) की स्थापना।

दिनांक 28.02.2025 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और स्रोत-वार संस्थापित उत्पादन क्षमता का विवरण

(सभी आंकड़े मेगावाट में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कोयला	लिग्नाइट	गैस	डीजल	हाइड्रो	आरईएस (बड़े हाइड्रो के अलावा)	न्यूक्लियर	कुल
1	आंध्र प्रदेश	13,190.00	0.00	4,678.54	36.80	1,610.00	10,013.58	0.00	29,528.92
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	155.46	0.00	1,270.46
3	असम	750.00	0.00	597.36	0.00	350.00	228.45	0.00	1,925.81
4	बिहार	9,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.36	0.00	9,590.36
5	छत्तीसगढ़	23,688.00	0.00	0.00	0.00	120.00	1,693.63	0.00	25,501.63
6	गोवा	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	57.43	0.00	105.43
7	गुजरात	14,692.00	1,400.00	7,551.41	0.00	1,990.00	30,934.03	1,840.00	58,407.44
8	हरियाणा	5,330.00	0.00	431.59	0.00	0.00	2,391.30	0.00	8,152.89
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	10,281.02	1,181.17	0.00	11,462.19
10	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	175.00	0.00	3,360.00	264.42	0.00	3,799.42
11	झारखंड	5,570.00	0.00	0.00	0.00	210.00	224.06	0.00	6,004.06
12	कर्नाटक	9,480.00	0.00	370.05	25.20	3,689.20	19,385.69	880.00	33,830.14
13	केरल	0.00	0.00	533.58	159.96	1904.15	1,824.66	0.00	4,422.35
14	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	53.59	0.00	142.59
15	मध्य प्रदेश	22,000.00	0.00	0.00	0.00	2,235.00	8,131.76	0.00	32,366.76
16	महाराष्ट्र	24,666.00	0.00	3207.08	0.00	3,047.00	18,537.30	1,400.00	50,857.38
17	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	36.00	105.00	19.24	0.00	160.24
18	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	73.11	0.00	395.11
19	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	75.86	0.00	135.86
20	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	35.84	0.00	110.84
21	ओडिशा	9,600.00	0.00	0.00	0.00	2,154.55	797.52	0.00	12,552.07
22	पंजाब	5,680.00	0.00	0.00	0.00	1,096.30	2165.78	0.00	8,942.08
23	राजस्थान	9,200.00	1580.00	1022.83	0.00	411.00	33,056.98	1,180.00	46,450.81
24	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	62.67	0.00	2,344.67
25	तमिलनाडु	10,522.50	3,640.00	1,027.18	211.70	2,178.20	22,456.40	2,440.00	42,475.98
26	तेलंगाना	10,242.50	0.00	0.00	0.00	2,405.60	5,282.74	0.00	17,930.84
27	त्रिपुरा	0.00	0.00	1,067.60	0.00	0.00	37.25	0.00	1,104.85
28	उत्तर प्रदेश	28,035.00	0.00	1,493.14	0.00	501.60	5,680.28	440.00	36,150.02
29	उत्तराखंड	0.00	0.00	664.00	0.00	4,035.35	969.13	0.00	5,668.48
30	पश्चिम बंगाल	1,3487.00	0.00	80.00	0.00	1341.20	767.48	0.00	15,675.68
31	अंडमान एवं निकोबार	0.00	0.00	0.00	92.71	0.00	35.16	0.00	127.87
32	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.85	0.00	78.85
33	दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.87	0.00	51.87
34	दिल्ली	0.00	0.00	2,208.40	0.00	0.00	397.40	0.00	2,605.80
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	26.83	0.00	4.97	0.00	31.80
36	पुदुचेरी	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00	54.11	0.00	86.61
	कुल	2,15,193.00	6,620.00	25,188.26	589.20	46,968.17	1,67,709.53	8,180.00	4,70,448.16

दिनांक 28.02.2025 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संस्थापित नवीकरणीय क्षमता (बड़ी जलविद्युत को छोड़कर) का विवरण

(सभी आंकड़े मेगावाट में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लघु हाइड्रो विद्युत	पवन विद्युत	जैव विद्युत	सौर विद्युत	कुल क्षमता
1	आंध्र प्रदेश	163.31	4,096.65	574.39	5,179.23	10,013.58
2	अरुणाचल प्रदेश	140.61	0.00	0.00	14.85	155.46
3	असम	34.11	0.00	2.00	192.34	228.45
4	बिहार	70.70	0.00	140.22	319.44	530.36
5	छत्तीसगढ़	76.00	0.00	277.09	1340.54	1,693.63
6	गोवा	0.05	0.00	1.94	55.44	57.43
7	गुजरात	106.64	12583.88	118.10	18,125.41	30,934.03
8	हरियाणा	73.50	0.00	292.62	2,025.18	2,391.30
9	हिमाचल प्रदेश	1,000.71	0.00	10.20	170.26	1,181.17
10	जम्मू एवं कश्मीर	189.93	0.00	0.00	74.49	264.42
11	झारखंड	4.05	0.00	20.14	199.87	224.06
12	कर्नाटक	1,284.73	6878.30	1909.95	9312.71	19385.69
13	केरल	276.52	63.50	2.50	1482.14	1824.66
14	लद्दाख	45.79	0.00	0.00	7.80	53.59
15	मध्य प्रदेश	123.71	2844.29	150.88	5012.88	8131.76
16	महाराष्ट्र	384.28	5279.08	2992.57	9881.37	18537.30
17	मणिपुर	5.45	0.00	0.00	13.79	19.24
18	मेघालय	55.03	0.00	13.80	4.28	73.11
19	मिजोरम	45.47	0.00	0.00	30.39	75.86
20	नागालैंड	32.67	0.00	0.00	3.17	35.84
21	ओडिशा	115.63	0.00	60.05	621.84	797.52
22	पंजाब	176.10	0.00	568.25	1,421.43	2,165.78
23	राजस्थान	23.85	5195.82	200.56	27,636.75	33,056.98
24	सिक्किम	55.11	0.00	0.00	7.56	62.67
25	तमिलनाडु	123.05	11,518.94	1,045.45	9,768.96	22,456.40
26	तेलंगाना	90.87	128.10	221.67	4,842.10	5,282.74
27	त्रिपुरा	16.01	0.00	0.00	21.24	37.25
28	उत्तर प्रदेश	49.10	0.00	2273.67	3,357.51	5,680.28
29	उत्तराखंड	233.82	0.00	142.24	593.07	969.13
30	पश्चिम बंगाल	98.50	0.00	348.36	320.62	767.48
31	अंडमान एवं निकोबार	5.25	0.00	0.00	29.91	35.16
32	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	78.85	78.85
33	दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव	0.00	0.00	3.75	48.12	51.87
34	दिल्ली	0.00	0.00	84.00	313.40	397.40
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	4.97	4.97
36	पुद्दुचेरी	0.00	0.00	0.00	54.11	54.11
	कुल	5,100.55	48,588.56	11,454.40	1,02,566.02	1,67,709.53

वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) तक विभिन्न स्रोतों/ईंधन से उत्पादित विद्युत का विवरण

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में हैं)

ईंधन		वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक)
		उत्पादन (एमयू में)	उत्पादन (एमयू में)	उत्पादन (एमयू में)	उत्पादन (एमयू में)
थर्मल	कोयला	10,41,487.43	11,45,907.58	12,60,902.62	11,80,980.70
	डीजल/एचएसडी	117.24	229.71	400.58	400.83
	लिंगनाइट	37,094.04	36,188.34	33,949.79	30,177.23
	बहु ईंधन	0.00	0.00	0.00	0.00
	नेप्था	0	0.83	0.03	0.00
	प्राकृतिक गैस	36,015.77	23,884.21	31,295.91	29,702.23
कुल थर्मल		11,14,714.48	12,06,210.67	13,26,548.93	12,41,261.08
न्यूक्लियर		47,112.06	45,861.09	47,937.41	51,961.76
हाइड्रो		1,51,627.33	1,62,098.77	1,34,053.92	1,39,780.44
भूटान आयात		7,493.20	6,742.40	4,716.10	5,368.78
कुल पारंपरिक:		13,20,947.07	14,20,912.93	15,13,256.36	14,38,372.06
कुल नवीकरणीय (पारंपरिक हाइड्रो को छोड़कर)		1,70,912.30	2,03,552.68	2,25,834.83	2,29,731.15
कुल योग :		14,91,859.37	16,24,465.61	17,39,091.19	16,68,103.21

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5408

दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

असम में मौजूदा विद्युत क्षमता

5408. श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम की मौजूदा विद्युत उत्पादन क्षमता, नियमित विद्युत आवश्यकता या मांग तथा पड़ोसी राज्यों से खरीदी गई विद्युत मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) असम में सिलचर विद्युत परियोजना, मार्गेरिटा ताप विद्युत परियोजना और नामरूप प्रतिस्थापन परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त विद्युत परियोजनाओं को पूरा होने में निर्धारित समय-सीमा से अधिक विलंब के कारण क्या हैं;

(घ) क्या असम को पड़ोसी राज्यों से आवंटित सीमा से अधिक बिजली आयात करने पर जुर्माना देना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ङ) क्या सरकार असम में अधूरी विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की कोई योजना है और यदि हां, तो उनको पूरा करने के लिए निर्धारित विशिष्ट समय-सीमा का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त परियोजनाओं के लिए आवंटित कुल निधि का ब्यौरा क्या है तथा असम में प्रत्येक निर्दिष्ट विद्युत परियोजना के लिए आवंटित निधि का परियोजनावार उपयोग किस प्रकार किया गया है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : असम की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता (स्थान-वार) का ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (फरवरी 2025 तक) के दौरान ऊर्जा और व्यस्ततम मांग के संदर्भ में असम की विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा अनुबंध-II पर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, असम सीधे पड़ोसी राज्यों से विद्युत नहीं खरीदता है। तथापि, राज्य द्वारा पड़ोसी राज्यों में स्थित केंद्रीय उत्पादन

कंपनियों से अनुबंधित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के माध्यम से 646 मेगावाट विद्युत क्रय की जाती है, जैसा कि निम्नलिखित ब्यौरे में दिया गया है:

- i. 285 मेगावाट विद्युत अरुणाचल प्रदेश में स्थित नीपको की कामेंग जल विद्युत परियोजना और पारे जल विद्युत परियोजना से खरीदी गई है।
- ii. 240 मेगावाट विद्युत त्रिपुरा के पलाटाना में स्थित ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी (ओटीपीसी) से और 57 मेगावाट अगरतला गैस आधारित पावर स्टेशन, त्रिपुरा से खरीदी गई है।
- iii. 33 मेगावाट विद्युत नागालैंड के दोयांग जल विद्युत परियोजना से क्रय की गई है।
- iv. 31 मेगावाट विद्युत मणिपुर के लोकतक जल विद्युत परियोजना से क्रय की गई है।

(ख) और (ग) : असम में सिलचर विद्युत परियोजना, मार्गेरिटा थर्मल परियोजना और नामरूप प्रतिस्थापन परियोजनाओं का ब्यौरा वर्तमान स्थिति और देरी के कारण को दर्शाते हुए **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

(घ) : असम पड़ोसी राज्यों में स्थित विद्युत उत्पादक कंपनियों से किए गए विद्युत क्रय करार (पीपीए) के माध्यम से विद्युत क्रय करता है। किसी भी कमी को विद्युत विनिमय बाजारों के माध्यम से क्रय से पूरा किया जाता है।

(ङ) और (च) : वर्तमान में, असम विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (एपीजीसीएल) द्वारा दो विद्युत परियोजनाएं अर्थात लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना और कार्बी लांगपी मध्य-II जल विद्युत परियोजना कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा प्रगति, निधि आवंटन और उपयोग तथा पूरा होने की अपेक्षित तिथि को दर्शाता है, जो **अनुबंध-IV** पर दिया गया है

दिनांक 28.02.2025 तक असम की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता का ब्यौरा (स्थानवार):

सभी आंकड़े मेगावाट में

राज्य	स्वामित्व/क्षेत्र	मोडवाइज ब्रेकअप								कुल योग
		तापीय					नवीकरणीय			
		कोयला	लिग्नाइट	गैस	डीजल	कुल	जल विद्युत	आरईएस	न्यूक्लियर	
1	राज्य क्षेत्र	0.00	0.00	306.36	0.00	306.36	100.00	5.01	0.00	411.37
2	निजी क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.44	0.00	198.44
3	केन्द्रीय क्षेत्र	750.00	0.00	291.00	0.00	1041.00	250.00	25.00	0.00	1316.00
असम का कुल		750.00	0.00	597.36	0.00	1347.36	350.00	228.45	0.00	1925.81

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ऊर्जा और उच्चतम मांग के संदर्भ में असम की विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा (फरवरी 2025 तक, अनंतिम)

वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा		उच्चतम मांग	उच्चतम आपूर्ति	मांग पूरी नहीं हुई	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	%	(एमडबल्यू)	(एमडबल्यू)	(एमडबल्यू)	(%)
2021-22	10,844	10,825	19	0.2	2,126	2,121	5	0.2
2022-23	11,465	11,465	0	0	2,379	2,376	3	0.1
2023-24	12,445	12,341	104	0.8	2,413	2,413	0	0
2024-25* (फरवरी 2025 तक)	11,897	11,891	6	0	2,812	2,687	125	4.4

नोट: (*) फरवरी, 2025 माह का आंकड़े अनंतिम हैं

एमयू: मिलियन यूनिट

असम में असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिलचर पावर परियोजना, मार्गेरिटा थर्मल परियोजना और नामरूप रिप्लेसमेंट परियोजनाओं का ब्यौरा:

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	स्थान	वर्तमान स्थिति/देरी के कारण
1.	सिलचर पावर परियोजना	30	सोनाबारीघाट, काछार जिला	गैस आपूर्ति की अनिश्चितता के कारण परियोजना को बंद कर दिया गया है।
2.	मार्गेरिटा पावर परियोजना	2 x 800	ग्राम सालेकी एनसी, मकुम मौजा, मार्गेरिटा, तिनसुकिया जिला	इस परियोजना को नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एनईसीएल) से प्राप्त कोयले का उपयोग करके एक पिट हेड थर्मल पावर स्टेशन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि, सीआईएल द्वारा यह सूचित गया कि इस थर्मल पावर प्लांट के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध नहीं होगा। इसके अलावा, मार्गेरिटा कोयले में सल्फर की मात्रा अधिक होती है जो बढ़ते उत्सर्जन और जंग के कारण विद्युत उत्पादन के लिए चुनौतियां पैदा करती है। इन कारणों को देखते हुए, असम सरकार इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ा रही है। इसके अतिरिक्त, असम सरकार अब शक्ति नीति के तहत कोयले के आवंटन के साथ 2x800 मेगावाट क्षमता का ताप विद्युत संयंत्र संस्थापित करने की योजना बना रही है।
3.	नामरूप रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट	100	एनटीपीएस, नामरूप, डिब्रूगढ़ जिला	परियोजना 16.07.2021 को शुरू हुई

कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा :

क्र.सं	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	निधि आवंटन और उपयोग	वर्तमान प्रगति एवं अनुमानित पूर्णता
1.	लोअर कोपिली जलविद्युत परियोजना	120	निधि आवंटन: 2,319.89 करोड़ रुपये उपयोग की गई निधि: 2,292.46 करोड़ रुपये	वास्तविक प्रगति- 88% अनुमानित पूर्णता: दिसंबर 2025
2.	कार्बी लांगपी मध्य-II जल विद्युत परियोजना	24	कुल परियोजना लागत: 417.32 करोड़ रुपये आबंटित निधि: 70.63 करोड़ रुपये उपयोग की गई निधि: 70.63 करोड़ रुपये जिसमें मोबिलाइजेशन एडवांस, भूमि मुआवजा और सिविल कार्य शामिल हैं।	वास्तविक प्रगति- 5% अनुमानित पूर्णता: अक्टूबर 2027

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5410

दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

नई पारेषण प्रणाली

5410. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अधिकतम विद्युत मांग कितनी दर्ज की गई है;

(ख) क्या सरकार उक्त मांग को पूरा करने में सक्षम रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की कमी गहरा गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) फरवरी 2025 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत की औसत उपलब्धता कितनी है; और

(ङ) क्या वर्ष 2024 के दौरान पारेषण लाइनों और अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता के संबंध में नई पारेषण प्रणालियां जोड़ी गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : वित्त वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) के लिए अखिल भारतीय उच्चतम मांग 2,49,856 मेगावाट थी, जो दिनांक 30.05.2024 को थी। इस उच्चतम मांग को केवल 2 मेगावाट के मामूली अंतर के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 470 गीगावाट है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से 238 गीगावाट उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी से पर्याप्त विद्युत की स्थिति में आ गया है। इसके अलावा, 2014 से 2,01,088 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनों, 7,78,017 एमवीए परिवर्तन क्षमता और 82,790 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता को जोड़ा गया है, जिससे देश के एक छोर से दूसरे छोर की 1,18,740 मेगावाट अंतरित करने की क्षमता है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 2024-25 (फरवरी 2025 तक) के दौरान देश की अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है। यह दर्शाता है कि ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा के बीच का अंतर वर्तमान वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) के दौरान केवल 0.1% के मामूली स्तर पर आ गया है। ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा के बीच यह मामूली अंतर भी आम तौर पर राज्य पारेषण/वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण होता है।

(घ) : फरवरी, 2025 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति का औसत दैनिक घंटा क्रमशः 22.6 घंटे और 23.4 घंटे था।

(ङ) : वर्ष 2024 (01-01-2024 से 31-12-2024) के दौरान, 11,116 सीकेएम पारेषण लाइनें (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर की) और 2,200 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय अंतरण क्षमता प्रणाली में जोड़ी गई हैं।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (फरवरी 2025 तक) के दौरान अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा:

वर्ष	ऊर्जा			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	%
2021-22	13,79,812	13,74,024	5,787	0.4
2022-23	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5
2023-24	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3
वर्ष 2024-25* (फरवरी, 2025 तक)	15,47,785	15,46,229	1,555	0.1

* फरवरी, 2025 के आंकड़े अनंतिम हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5414

दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

एमएचआईआर के अंतर्गत उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास

5414. श्री हमदुल्ला सईद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत क्षेत्र हेतु उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास करने में उन्नत एवं उच्च प्रभाव अनुसंधान मिशन (एमएचआईआर) के अंतर्गत प्रगति हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक स्वीकृत अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की योजना उक्त योजना के अंतर्गत विकसित प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण सुनिश्चित करने की है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : “उन्नत एवं उच्च प्रभाव अनुसंधान मिशन (एमएचआईआर)” विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करने तथा उन्हें बड़े पैमाने पर स्वदेशी रूप से विकसित करने की एक पहल है, ताकि उनका उपयोग किया जा सके।

मिशन में दो स्तरीय संरचना है - एक तकनीकी स्कोपिंग समिति (टीएससी) जो तकनीकी दृष्टिकोण से अनुसंधान प्रस्तावों की जांच करती है और एक शीर्ष समिति जो अंतिम रूप से उन्हें मंजूरी देती है। मिशन के समन्वय के लिए केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) को नोडल एजेंसी बनाया गया है और संस्वीकृत परियोजनाओं को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए सीपीआरआई को दिए गए अनुदान से वित्त पोषित किया जाएगा। विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा में उन्नत, उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान का समर्थन करने के लिए एमएचआईआर ने अपनी शुरुआत के बाद से उल्लेखनीय प्रगति की है। अनुसंधान फोकस क्षेत्रों और परियोजना प्रस्तावों का मार्गदर्शन और मूल्यांकन करने के लिए अकादमिक संस्थाओं, यूटिलिटी और विनियामक निकायों के विशेषज्ञों के साथ एक टीएससी की संस्थापना की गई थी। चिन्हित किए गए प्राथमिकता वाले अनुसंधान डोमेन में शामिल निम्नलिखित हैं:

- लिथियम आधारित ऊर्जा भंडारण के विकल्प
- भूतापीय ऊर्जा
- कार्बन कैप्चर और उपयोग
- ऊर्जा क्षेत्र में एआई और स्वचालन

शोध दिशा-निर्देशों को परिष्कृत करने के लिए विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और उद्योग के साथ कई परामर्श किए गए। प्रस्तावों के लिए एक औपचारिक बोली जारी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, शिक्षाविदों और उद्योग के लीडरों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। टीएससी ने प्रस्तुत प्रस्तावों की जांच की और शीर्ष समिति के अंतिम विचार के लिए 05 प्रस्तावों की सिफारिश की।

(ग) : दिशानिर्देशों के अनुसार, मिशन भारतीय स्टार्ट-अप द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों की पायलट परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगा और इसके व्यावसायीकरण की सुविधा भी प्रदान करेगा। स्टार्ट-अप को भारत सरकार/सीपीआरआई के साथ आईपीआर साझा करना होगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5433

दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

ताप विद्युत संयंत्रों की औसत ऊर्जा क्षमता

5433. श्री पुट्टा महेश कुमार:
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान देश में ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) की ऊर्जा दक्षता के संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में औसत ऊर्जा क्षमता कितनी है;

(ग) देश भर, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में ताप विद्युत संयंत्रों की ऊर्जा दक्षता और उनके द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने देश भर में ताप विद्युत संयंत्रों की दक्षता बढ़ाने के लिए उनमें मौजूद प्रौद्योगिकियों का उन्नयन करने पर विचार किया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022-23 में कोयला और लिग्नाइट आधारित संयंत्रों की अखिल भारतीय तापीय दक्षता 35.02% है। वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक कोयला और लिग्नाइट आधारित संयंत्रों की अखिल भारतीय तापीय दक्षता निम्नानुसार है:

वर्ष	दक्षता (%)
2018-19	35.62
2019-20	35.69
2020-21	35.88
2021-22	35.11
2022-23	35.02

(ग) और (घ) : थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए, टीपीपी क्षेत्र को पीएटी स्कीम के तहत शामिल किया गया है। इस स्कीम में 3 साल के चक्र में टीपीपी की ताप दर में सुधार का प्रावधान है। इस स्कीम में आंध्र प्रदेश में टीपीपी की 11.2 गीगावाट क्षमता सहित कुल 184 गीगावाट क्षमता शामिल है। स्कीम के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, टीपीपी क्षेत्र ने आंध्र प्रदेश में 0.146 एमटीओई सहित 7.73 मिलियन टन तेल समतुल्य (एमटीओई) की ऊर्जा बचत हासिल की है।

विद्युत उत्पादन एक लाइसेंस-मुक्त गतिविधि है और टीपीपी के प्रमोटर अपने टीपीपी के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के संबंध में समुचित निर्णय लेते हैं। तथापि, विद्युत मंत्रालय सब-क्रिटिकल कोयला आधारित थर्मल इकाइयों की तुलना में कुशल सुपर-क्रिटिकल/अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है क्योंकि ये इकाइयाँ सब-क्रिटिकल इकाइयों की तुलना में अधिक कुशल हैं।

दिनांक 28.03.2025 तक, देश में कुल 68,070 मेगावाट की 98 सुपर क्रिटिकल इकाइयाँ और कुल 5,560 मेगावाट की 8 अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल इकाइयाँ संस्थापित की गई हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश में 5,840 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 8 सुपर क्रिटिकल इकाइयाँ शामिल हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5473
दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

उत्तराखंड में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

5473. श्री अजय भट्ट:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तराखंड में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के कार्य-निष्पादन का कोई मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है;

(घ) क्या सरकार द्वारा शेष गांवों के विद्युतीकरण के लिए कोई विशेष कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : भारत सरकार (जीओआई) ने वर्ष 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की थी। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के सभी आबाद गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों को दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकृत कर दिया गया। डीडीयूजीजेवाई के तहत उत्तराखंड राज्य के 91 गांवों सहित राष्ट्रीय स्तर पर कुल 18,374 गांवों को विद्युतीकृत किया गया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युतीकृत किया गया, जिनमें से उत्तराखंड राज्य में 2,48,751 घरों को विद्युतीकृत किया गया।

डीडीयूजीजेवाई का प्रभाव आकलन अध्ययन मेसर्स अन्स्ट एंड यंग एलएलपी द्वारा वर्ष 2022 में अखिल भारतीय स्तर पर किया गया था, जिसमें बताया गया था कि अध्ययन के अंतर्गत शामिल 100% गांवों और उपभोक्ताओं ने विद्युत आपूर्ति के घंटों में सुधार की सूचना दी है। अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि कई डिस्कॉम ने नए अवसंरचना के कारण वितरण हानियों को कम किया है। बिलिंग दक्षता और एसीएस-एआरआर

अंतर में सुधार, डिस्कॉम के प्रचालन और वित्तीय प्रदर्शन के महत्वपूर्ण संकेतक, ने भी डीडीयूजीजेवाई के बाद सुधार दिखाई दिया है। तथापि, यह उल्लेख करना उचित है कि, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन के दौरान, डिस्कॉम ने अन्य स्कीमों के तहत आपूर्ति क्षेत्रों में विकास कार्य किए, जिसका विभिन्न मापदंडों में सुधार में योगदान हो सकता है।

इसके अलावा, अध्ययन में इस स्कीम के व्यवसाय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामुदायिक सुरक्षा और बैंकिंग पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया।

अध्ययन में उत्तराखंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

- i. वर्ष 2015 में 18 घंटे की तुलना में वर्ष 2022 में विद्युत आपूर्ति के घंटे बढ़कर 23 घंटे हो गए।
- ii. वर्ष 2015 और 2022 के बीच आय में 33% की वृद्धि देखी गई।

(घ) और (ङ) : भारत सरकार (जीओआई) ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालन रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की।

सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के लिए आरडीएसएस के तहत, जहाँ भी व्यवहार्य पाया गया, ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्यों को भी संस्वीकृत किया गया है। अब तक, 10,19,030 घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए 4,643 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को संस्वीकृत किया गया है। उत्तराखंड राज्य के लिए, 2049 घरों के विद्युतीकरण कार्य के लिए 14.59 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं को संस्वीकृत किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5474
दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

5474. श्री बी. के. पार्थसारथी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत आज की तारीख तक स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या राज्यवार और वर्षवार कितनी है;

(ख) अनुमोदित परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत और जारी की गई निधि का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत स्मार्ट मीटरों की कुल संख्या के बारे में ब्यौरा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और आंध्र प्रदेश के लिए जिलावार ब्यौरा क्या है तथा स्मार्ट मीटरों की स्वीकृत और प्रदान की गई मात्रा कितनी है; और

(ङ) आंध्र प्रदेश राज्य में स्मार्ट मीटरों के लिए स्वीकृत परियोजना की लागत, आवंटित अनुदान और उनके संवितरण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की, जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से स्थिर तथा प्रचालन रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना है। इस स्कीम के तहत, हानि न्यूनीकरण अवसंरचना के लिए 1.51 लाख करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृत किया गया है। हानि न्यूनीकरण और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण अनुबंध-क, ख और ग पर दिया गया है।

इस स्कीम के एक हिस्से के रूप में, भारत सरकार, जहाँ भी व्यवहार्य पाया गया, सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) अवधि के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड-आधारित विद्युतीकरण का समर्थन करती आ रही है। आज तक, 12,91,833 घरों के विद्युतीकरण के लिए 6,113 करोड़ रुपये की राशि के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसमें पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के तहत चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित घरों, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत चिह्नित अनुसूचित जनजातियों से संबंधित घरों और पीएम-अजय (प्रधानमंत्री वंचित

जाति अभ्युदय योजना) के तहत चिह्नित घरों के लिए विद्युतीकरण कार्य शामिल हैं। आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण कार्य का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक-IIक और IIख** पर दिया गया है।

हानि न्यूनीकरण कार्य के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत व्यय की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

संस्वीकृत स्मार्ट मीटर कार्य का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-IV** पर दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत और दिए गए स्मार्ट मीटरिंग कार्य का जिलावार ब्यौरा **अनुबंध-V** पर दिया गया है।

(ड) : आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटर के लिए संस्वीकृत लागत, आवंटित और वितरित अनुदान का डिस्कॉम-वार विवरण निम्नानुसार है:

डिस्कॉम	परियोजना लागत (रुपये करोड़ में)	भारत सरकार अनुदान (रुपये करोड़ में)	भारत सरकार अनुदान का व्यय (रुपये करोड़ में)
एपीएसपीडीसीएल	1,664	249	0
एपीसीपीडीसीएल	1,513	230	0
एपीईपीडीसीएल	951	144	0
एपी कुल	4,128	623	0

अनुबंध-1क

आरडीएसएस के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार हानि न्यूनीकरण और संस्वीकृत स्मार्ट मीटरिंग कार्य

(रुपये करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों की संस्वीकृत लागत	स्मार्ट मीटरिंग की संस्वीकृत लागत	कुल संस्वीकृत परियोजना लागत
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	462	54	516
आंध्र प्रदेश	10,710	4,128	14,838
अरुणाचल प्रदेश	1,042	184	1,226
असम	3,395	4,050	7,444
बिहार	9,983	2,021	12,004
छत्तीसगढ़	4,021	4,105	8,126
दिल्ली	324	13	337
गोवा	247	469	716
गुजरात	6,089	10,642	16,731
हरियाणा	6,797	-	6,797
हिमाचल प्रदेश	2,327	1,788	4,116
जम्मू एवं कश्मीर	4,771	1,064	5,835
झारखंड	3,462	858	4,320
कर्नाटक	36	-	36
केरल	3,018	8,231	11,249
लद्दाख	876	-	876
मध्य प्रदेश	9,426	8,911	18,336
महाराष्ट्र	17,238	15,215	32,453
मणिपुर	615	121	737
मेघालय	1,232	310	1,542
मिजोरम	319	182	500
नागालैंड	461	208	668
पुदुचेरी	84	251	335
पंजाब	3,873	5,769	9,642
राजस्थान	18,693	9,715	28,408
सिक्किम	416	97	514
तमिलनाडु	9,568	19,235	28,803
तेलंगाना	120	-	120
त्रिपुरा	598	319	917
उत्तर प्रदेश	21,661	18,956	40,617
उत्तराखंड	1,718	1,106	2,824
पश्चिम बंगाल	7,223	12,670	19,893
कुल योग	1,50,803	1,30,671	2,81,474

आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार हानि न्यूनीकरण कार्य

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 23	वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 25	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		183	279		462
आंध्र प्रदेश	9,277		97	1,336	10,710
अरुणाचल प्रदेश		800	143	99	1,042
असम	2,609	0		786	3,395
बिहार		7,081		2,902	9,983
छत्तीसगढ़		3,598	34	390	4,021
दिल्ली		324			324
गोवा		247			247
गुजरात	6,021			68	6,089
हरियाणा		3,158	0	3,638	6,797
हिमाचल प्रदेश	1,913		367	47	2,327
जम्मू एवं कश्मीर	4,636			135	4,771
झारखंड		3,262	61	139	3,462
कर्नाटक			4	32	36
केरल	2,347		1	670	3,018
लद्दाख		697	178		876
मध्य प्रदेश	9,403		105	(83)*	9,426
महाराष्ट्र		14,158	27	3,053	17,238
मणिपुर		401		214	615
मेघालय	796		436		1,232
मिजोरम	237		70	11	319
नागालैंड		391	65	4	461
पुदुचेरी		84			84
पंजाब		3,873			3,873
राजस्थान	8,912		500	9,281	18,693
सिक्किम		264	134	19	416
तमिलनाडु	9,066		501		9,568
तेलंगाना			7	114	120
त्रिपुरा		485	62	52	598
उत्तर प्रदेश	16,746		2,266	2,649	21,661
उत्तराखंड	1,447		249	22	1,718
पश्चिम बंगाल		7,223			7,223
कुल	73,412	46,229	5,585	25,578	1,50,803

* लागत संशोधन के कारण

आरडीएसएस के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार संस्वीकृत स्मार्ट मीटरिंग कार्य

(करोड़ रुपये)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 23	वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 25	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		54			54
आंध्र प्रदेश	4,128				4,128
अरुणाचल प्रदेश		184			184
असम	3,677	372			4,050
बिहार		2,021			2,021
छत्तीसगढ़		4,105			4,105
दिल्ली		13			13
गोवा		469			469
गुजरात	10,642				10,642
हरियाणा		4,967	(4,967)*		0
हिमाचल प्रदेश	1,788				1,788
जम्मू एवं कश्मीर	1,064				1,064
झारखंड		858			858
कर्नाटक					0
केरल	8,231				8,231
लद्दाख		0			0
मध्य प्रदेश	8,769			142	8,911
महाराष्ट्र		15,215			15,215
मणिपुर		121			121
मेघालय	310				310
मिजोरम	182				182
नागालैंड		208			208
पुदुचेरी		251			251
पंजाब		5,769			5,769
राजस्थान	9,715				9,715
सिक्किम		97			97
तमिलनाडु	19,235				19,235
तेलंगाना					0
त्रिपुरा		319			319
उत्तर प्रदेश	18,956				18,956
उत्तराखंड	1,051			55	1,106
पश्चिम बंगाल		12,670			12,670
कुल	87,748	47,693	(4,967)	197	1,30,671

* स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को मंजूरी नहीं मिली

आरडीएसएस के तहत स्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण कार्यो का संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

क्र. सं.	राज्य	संस्वीकृत परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	केंद्रीय सकल बजटीय सहायता (करोड़ रुपये में)	संस्वीकृत परिवारों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	161.27	96.76	46,443
2	अरुणाचल प्रदेश	75.52	67.97	10,136
3	असम	785.55	706.99	1,27,111
4	बिहार	300.55	180.33	42,635
5	छत्तीसगढ़	423.17	253.90	80,734
6	हिमाचल प्रदेश	6.63	5.96	100
7	जम्मू एवं कश्मीर	77.10	69.39	10,730
8	झारखंड	199.98	119.98	38,672
9	कर्नाटक	35.90	21.54	5,844
10	केरल	7.07	4.24	1,482
11	मध्य प्रदेश	184.70	110.81	36,045
12	महाराष्ट्र	57.02	34.21	17,529
13	मणिपुर	214.44	193.00	36,972
14	मेघालय	435.70	392.13	50,501
15	मिजोरम	79.90	71.91	15,167
16	नागालैंड	69.55	62.59	10,004
17	राजस्थान	1765.08	1059.04	4,39,372
18	तमिलनाडु	29.89	17.94	10,673
19	तेलंगाना	120.42	72.25	31,081
20	त्रिपुरा	104.52	94.08	19,853
21	उत्तर प्रदेश	964.48	578.69	2,58,700
22	उत्तराखंड	14.59	13.13	2,049
	कुल	6,113	4,227	12,91,833

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण कार्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण
(रुपये करोड में)

क्र. सं.	राज्य	वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 25	कुल
1	आंध्र प्रदेश	97	64	161
2	अरुणाचल प्रदेश	20	55	76
3	असम		786	786
4	बिहार		301	301
5	छत्तीसगढ़		423	423
6	हिमाचल प्रदेश		7	7
7	जम्मू एवं कश्मीर		77	77
8	झारखंड	61	139	200
9	कर्नाटक	4	32	36
10	केरल	1	6	7
11	मध्य प्रदेश	105	80	185
12	महाराष्ट्र	27	30	57
13	मणिपुर		214	214
14	मेघालय	436		436
15	मिजोरम	69	11	80
16	नागालैंड	65	4	70
17	राजस्थान	500	1,266	1,765
18	तमिलनाडु	30		30
19	तेलंगाना	7	114	120
20	त्रिपुरा	62	43	105
21	उत्तर प्रदेश	932	32	964
22	उत्तराखंड	13	2	15
	कुल	2,427	3,686	6,113

हानि न्यूनीकरण कार्यों के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत व्यय की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 23	वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 25	कुल
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	274	-24	311	901	1,463
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	43	43
4	असम	0	10	635	761	1,406
5	बिहार	0	4	1,268	1,207	2,479
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़^	0	45	178	304	527
8	दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन और दीव	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	0	0	0	0	0
10	गोवा	0	0	15	0	15
11	गुजरात	178	-167	507	670	1,188
12	हरियाणा	0	0	35	205	241
13	हिमाचल प्रदेश	85	-84	6	80	87
14	जम्मू एवं कश्मीर	0	67	349	624	1,040
15	झारखंड	0	0	0	222	222
16	कर्नाटक	0	0	0	5	5
17	केरल	0	0	22	153	176
18	लद्दाख	0	0	79	0	79
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	179	1,006	820	2,005
21	महाराष्ट्र	0	29	820	1,614	2,463
22	मणिपुर	0	17	20	58	94
23	मेघालय	0	0	51	146	197
24	मिजोरम	0	0	22	27	50
25	नागालैंड	0	0	1	10	11
26	ओडिशा	0	0	0	0	0
27	पुदुचेरी	0	0	0	0	0
28	पंजाब	0	0	115	114	229
29	राजस्थान	0	0	531	1,094	1,624
30	सिक्किम	0	0	24	12	36
31	तमिलनाडु	0	0	97	448	545
32	तेलंगाना	0	0	2	0	2
33	त्रिपुरा	0	17	36	91	143
34	उत्तर प्रदेश	277	161	1,801	1,822	4,061
35	उत्तराखंड	0	3	11	116	131
36	पश्चिम बंगाल	0	0	221	601	822
	कुल	814	259	8,160	12,150	21,383

आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्मार्ट मीटरिंग कार्य

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपभोक्ता मीटर (संख्या)	वितरण ट्रांसफार्मर मीटर (संख्या)	फीडर मीटर (संख्या)	कुल (संख्या)
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	83,573	1,148	114	84,835
आंध्र प्रदेश	5,608,846	293,140	17,358	5,919,344
अरुणाचल प्रदेश	287,446	10,116	688	298,250
असम	6,364,798	77,547	2,782	6,445,127
बिहार	2,350,000	250,726	6,427	2,607,153
छत्तीसगढ़	5,962,115	210,644	6,720	6,179,479
दिल्ली		766	2,755	3,521
गोवा	741,160	8,369	827	750,356
गुजरात	16,481,871	300,487	5,229	16,787,587
हिमाचल प्रदेश	2,800,945	39,012	1,951	2,841,908
जम्मू और कश्मीर	1,407,045	88,037	2,608	1,497,690
झारखंड	1,341,306	19,512	1,226	1,362,044
केरल	13,289,361	87,615	6,025	13,383,001
मध्य प्रदेश	12,980,102	419,396	29,708	13,429,206
महाराष्ट्र	23,564,747	410,905	29,214	24,004,866
मणिपुर	154,400	11,451	357	166,208
मेघालय	460,000	11,419	1,324	472,743
मिजोरम	289,383	2,300	398	292,081
नागालैंड	317,210	6,276	392	323,878
पुदुचेरी	403,767	3,105	180	407,052
पंजाब	8,784,807	184,044	12,563	8,981,414
राजस्थान	14,274,956	434,608	27,128	14,736,692
सिक्किम	144,680	3,229	633	148,542
तमिलनाडु	30,000,000	472,500	18,274	30,490,774
त्रिपुरा	547,489	14,908	473	562,870
उत्तर प्रदेश	26,979,055	1,526,801	20,874	28,526,730
उत्तराखंड	1,587,870	59,212	2,602	1,649,684
पश्चिम बंगाल	20,717,969	305,419	11,874	21,035,262
आरडीएसएस-कुल	197,924,901	5,252,692	210,704	203,388,297

आंध्र प्रदेश राज्य में आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरों की स्वीकृति और पुरस्कार का जिलावार विवरण

डिस्कॉम	ज़िला	संस्वीकृत (संख्या)			आबाई की गई (संख्या)		
		उपभोक्ता मीटर	डीटी मीटर	फीडर मीटर	उपभोक्ता मीटर	डीटी मीटर	फीडर मीटर
एपी-सीपीडीसीएल	गुंटूर	8,32,962	38,804	1,240	8,56,721	38,804	1,240
	कृष्णा	8,20,548	43,933	1,233	8,17,632	43,933	1,233
	प्रकाशम	3,97,452	30,913	1,253	4,33,038	30,913	1,253
एपी-ईपीडीसीएल	एलुरु	2,66,487	24,765	1,217	2,67,359	24,765	1,217
	राजमहेंद्रवरम	2,70,176	27,672	931	2,69,885	27,672	931
	श्रीकाकुलम	92,606	6,045	405	1,20,638	6,045	405
	विशाखापत्तनम	3,26,232	11,207	916	3,26,232	11,207	916
	विजयनगरम	2,99,739	7,555	422	2,71,126	7,555	422
एपी-एसपीडीसीएल	अनंतपुर	5,29,015	11,396	1,800	5,53,075	11,396	1,800
	चित्तूर	5,56,262	56,630	2,674	5,86,691	56,630	2,674
	कडपा	3,67,364	6,040	1,933	3,52,401	6,040	1,933
	कुरनूल	4,26,565	10,112	1,574	4,24,702	10,112	1,574
	एसपीएसआर नेल्लोर	4,23,438	18,068	1,760	3,91,563	18,068	1,760
कुल		56,08,846	2,93,140	17,358	56,71,063	2,93,140	17,358

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5495
दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

बिहार में विद्युत परियोजना की स्थिति

5495. श्री रामप्रीत मंडल:

श्री दिनेश चंद्र यादव:

श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई माह में वर्ष 2024-25 के बजट भाषण के दौरान बिन्दु संख्या 31 पर घोषित बिहार के पीरपैती में 21,400 करोड़ रुपये की लागत से 2400 मेगावाट की विद्युत परियोजना की स्थापना का ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उक्त परियोजना पर अब तक उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : व्यवहार्यता अध्ययन को अंतिम रूप देने और विद्युत मंत्रालय के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, बिहार सरकार ने टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) मार्ग के माध्यम से पीरपैती ताप विद्युत परियोजना को विकसित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में, विकासकर्ता के चयन के लिए दिनांक 04.03.2025 को निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी की गई है। कोयला मंत्रालय के तहत स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घकालिक) ने दिनांक 24.02.2025 को परियोजना के लिए कोयला लिंकेज की सिफारिश की है।

(ख) : बिहार सरकार ने परियोजना के निर्माण-पूर्व और साइट विकास गतिविधियों के लिए लगभग 58.67 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5518

दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत उत्पादन

5518. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में विद्युत की कुल मांग और वास्तविक विद्युत उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में ईंधन आधारित और जल आधारित विद्युत केन्द्रों के रूप में वर्गीकृत कार्यरत विद्युत स्टेशनों/संयंत्रों की संख्या कितनी है और उनका कुल विद्युत उत्पादन राज्यवार कितना है; और

(ग) क्या प्रत्येक राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई जारी अथवा प्रस्तावित परियोजनाएँ हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख): वर्तमान वर्ष (फरवरी, 2025 तक) के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** पर है।

वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) के दौरान उत्पादित विद्युत को दर्शाते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत राज्य-वार, ईंधन-वार विद्युत संयंत्रों का विवरण **अनुबंध-II** पर है।

(ग): वर्तमान में, अरुणाचल प्रदेश और असम में 5,000 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 3 जलविद्युत परियोजनाएँ (25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली) निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-III** पर है।

इसके अतिरिक्त, कुल 14,069 मेगावाट क्षमता वाली 16 जल विद्युत परियोजनाओं को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा सहमति दी गई है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में इनका निर्माण कार्य अभी शुरू होना है। इन परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-IV** पर है।

वर्तमान वर्ष (फरवरी, 2025 तक) के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति का राज्य-वार विवरण

राज्य	अप्रैल, 2024- फरवरी, 2025*			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
अरुणाचल प्रदेश	956	956	0	0.0
असम	11,897	11,891	6	0.0
मणिपुर	978	974	4	0.5
मेघालय	1,874	1,873	1	0.0
मिजोरम	647	647	0	0.0
नागालैंड	865	865	0	0.0
त्रिपुरा	1,779	1,779	0	0.0
पूर्वोत्तर क्षेत्र:	19,004	18,993	11	0.1

नोट: (*)फरवरी, 2025 के आंकड़े अनंतिम हैं।

वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) के दौरान उत्पादित विद्युत को दर्शाते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य-वार, ईंधन-वार विद्युत संयंत्रों का विवरण:

राज्य	ईंधन	संगठन	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट में)	वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत उत्पादन (एमयू में) (फरवरी, 2025 तक)	
अरुणाचल प्रदेश	हाइड्रो	नीपको	कामेंग	600	2,627.11	
			पारे	110	368.32	
			रंगनाडी	405	1,025.72	
			कुल हाइड्रो:	1115	4,021.15	
कुल अरुणाचल प्रदेश:				1115	4,021.15	
असम	कोयला	एनटीपीसी	बोंगईगांव	750	4,481.53	
			कुल कोयला:	750	4,481.53	
	गैस	एपीजीसीएल	लकवा	97.2	431.9	
			लाकवा रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट	69.755	419.89	
			नामरुप	139.4	824.14	
			नीपको	291	1,446.26	
	कुल गैस:				597.355	3,122.19
	हाइड्रो	एपीजीसीएल	करबिलंगपी	100	401.5	
		नीपको	खोंडोंग	50	0	
			कोपिली	200	543.13	
कुल हाइड्रो:				350	944.63	
कुल असम:				1,697.36	8,548.35	
मणिपुर	डीजल	विद्युत विभाग, मणिपुर	लेइमाखोंग	36	0	
			कुल डीजल:	36	0	
	हाइड्रो	एनएचपीसी	लोकटक	105	687.4	
	कुल हाइड्रो:				105	687.4
कुल मणिपुर:				141	687.4	
मेघालय	हाइड्रो	मेघालय ऊर्जा निगम लिमिटेड (एमईईसीएल)	किर्डमकुलई	60	88.14	
			मिन्टु (लेशका) चरण-I	126	359.86	
			नया उम्त्रु	40	179.9	
			उमियाम चरण- I	36	106.89	
			उमियाम चरण-IV	60	139.92	
			कुल हाइड्रो:	322	874.71	
कुल मेघालय:				322	874.71	
मिज़ोरम	हाइड्रो	नीपको	टुरिअल	60	235.93	
			कुल हाइड्रो:	60	235.93	
	कुल मिज़ोरम:				60	235.93

राज्य	ईंधन	संगठन	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट में)	वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत उत्पादन (एमयू में) (फरवरी, 2025 तक)
नागालैंड	हाइड्रो	नीपको	दोयांग	75	212.54
			कुल हाइड्रो:	75	212.54
			कुल नागालैंड:	75	212.54
त्रिपुरा	गैस	नीपको	अगरतला	135	505.41
			मोनारचक	101	446.33
		ओएनजीसी	त्रिपुरा	726.6	3,528.29
		त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (टीएसईसीएल)	बारामुरा	42	3.46
			रोखिया	63	167.8
			कुल गैस:	1,067.6	4,651.29
	कुल त्रिपुरा:	1,067.6	4,651.29		
		कुल-योग (पूर्वोत्तर क्षेत्र):	4,477.96	19,231.37	

पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक क्षमता) का विवरण

क्रम सं.	स्कीम का नाम / (कार्यकारी एजेंसी)	क्षेत्र	जिला	संस्थापित क्षमता (सं. X मेगावाट)	कार्यान्वयनाधीन क्षमता (मेगावाट में)	नदी/बेसिन	समापन/कमीशनिंग की अपेक्षित तिथि
अरुणाचल प्रदेश							
1	सुबनसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	लोअर सुबनसिरी	8x250	2,000.00	सुबनसिरी/ ब्रह्मपुत्र	2026-27 (मई, 2026)
2	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (एनएचपीसी)	केंद्रीय	लोअर दिबांग घाटी	12x240	2,880.00	दिबांग / ब्रह्मपुत्र	2031-32 (फरवरी, 2032)
उप-योग: अरुणाचल प्रदेश					4,880.00		
असम							
3	लोअर कोपली (एपीजीसीएल)	राज्य	दीमा हसाओ एवं कार्बी आंगलॉग	2x55+ 2x2.5+ 1x5	120.00	कोपिली/ ब्रह्मपुत्र	2025-26 (सितम्बर, 2025)
उप-योग: असम					120.00		
कुल:					5,000.00		

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उन जल विद्युत परियोजनाओं का विवरण जिन पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा सहमति व्यक्त की गई है तथा जिनका निर्माण अभी शुरू होना है

क्रम सं.	स्कीम का नाम	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित (मेगावाट)
अरुणाचल प्रदेश				
1.	तवांग चरण- I	केंद्रीय	एनएचपीसी	600
2.	तवांग चरण- II	केंद्रीय	एनएचपीसी	800
3.	हीओ	केंद्रीय	नीपको	240
4.	तातो-I	केंद्रीय	नीपको	186
5.	तातो-II	केंद्रीय	नीपको	700
6.	एटालिन	केंद्रीय	एसजेवीएनएल	3,097
7.	कलाई-II	केंद्रीय	टीएचडीसीआईएल	1,200
8.	हीरोंग	केंद्रीय	नीपको	500
9.	नेयिंग	केंद्रीय	नीपको	1,000
10.	अटुनली	केंद्रीय	एसजेवीएनएल	680
11.	नफरा	केंद्रीय	नीपको	120
12.	निचला सियांग	निजी	जेएवीएल	2,700
13.	डेमवे लोअर	निजी	एडीपीएल	1,750
14.	तलोंग लोंडा	निजी	जीएमआर	225
उप-योग:				13,798
मेघालय				
15.	वाह- उमियम चरण- III	केंद्रीय	नीपको	85
उप-योग:				85
नागालैंड				
16.	दिखु	निजी	एनएमपीपीएल	186
उप-योग:				186
महा-योग:				14,069
